भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित डेटा के आकलन की आवश्यकता

जनवरी 2023

GMDAC
IOM's Global Migration Data Analysis Centre

IOM
UN MIGRATION

Indian Council of World Affairs

इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के विचारों को दर्शाते हों। नियोजित पदनाम तथा पूरे प्रकाशन की अंतर्वस्तु किसी भी देश, क्षेत्र, शहर या क्षेत्र, या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति, या उसकी सीमाओं के संबंध में आईओएम की राय की अभिव्यक्ति नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है कि मानवीय एवं व्यवस्थित प्रवासन से प्रवासियों और समाज दोनों को लाभ होता है। अंतरसरकारी संगठन होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने भागीदारों के साथ मिलकर निम्न कार्य करता है: प्रवासन की परिचालन चुनौतियों का सामना करने में सहायता करना; प्रवासन संबंधी मुद्दों का अग्रिम बोध; प्रवासन के ज़रिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना; और प्रवासियों की मानवीय गरिमा एवं भलाई को अनुरक्षित रखना।

यह प्रकाशन विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी) द्वारा प्रदान किए गए समर्थन से संभव हुआ है। यहां व्यक्त की गई राय लेखक की हैं और जरूरी नहीं कि वे परियोजना भागीदारों के विचारों को प्रतिबिंबित करें।

प्रकाशक: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन
17 रूट डेस मोरिलॉन्स
पी.ओ. बॉक्स 17
1211 जिनेवा 19
स्विट्ज़रलैंड
दूरभाष: +41 22 717 9111
फैक्स: +41 22 798 6150 ईमेल: hq@iom.int वेबसाइट: www.iom.int

लेखक: मिशेल पौलेन, ऐनी हर्म और गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी
परियोजना समन्वयक: संजय अवस्थी और सुरक्षा चन्द्रशेखर
परियोजना भागीदार: विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी)
कॉपी संपादक: त्रिदिशा दत्ता
लेआउट कलाकार: युक्ति प्रिंट्स

कवर फ़ोटो: फ़्रीपिक

© आईओएम 2023

कुछ अधिकार सुरक्षित हैं। यह प्रकाशन क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-नॉन-कमर्शियल-नोडेरिव्स 3.0 आईजीओ लाइसेंस (सीसी बाय-एनसी-एनडी 3.0 आईजीओ) के तहत उपलब्ध कराया गया है।*

अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉपीराइट एवं उपयोग की शर्तें देखें।

इस प्रकाशन का उपयोग, प्रकाशन या पुनर्वितरण ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो मुख्यतः व्यावसायिक लाभ या मौद्रिक मुआवजे हेतु हों, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत किए जाने हेतु।

अनुमतियाँ: व्यावसायिक उपयोग या अन्य अधिकारों एवं लाइसेंसिंग के लिए publications@iom.int पर अनुरोध किया जाना चाहिए।

* https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode

भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित डेटा के आकलन की आवश्यकता

जनवरी 2023

अंतर्वस्तु

तालिका

आभारोक्ति 6

संकेताक्षर की सूची 7

कार्यकारी सारांश 8

संक्षिप्त कार्यप्रणाली 9

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित डेटा संग्रह 10

1.1. प्रवास सांख्यिकी और जनसंख्या जनगणना पर आवश्यकताएँ 10

1.2. श्रम प्रवासन पर सांख्यिकी की आवश्यकताएँ 12

1.3. एजेंडा 2030 और जीसीएम के लिए डेटा 12

2. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित डेटा का प्रबंधन कर रहे भारतीय संस्थान 14

2.1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 14

2.2. गृह मंत्रालय 14

2.3. विदेश मंत्रालय 16

3. अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर सांख्यिकी और डेटा 19

3.1. यूएनडीईएसए 19

3.2. आईएलओ 21

3.3. आईओएम - जीएमडीएसी 22

3.4. यूएनईएससीएपी 23

3.5. विश्व बैंक 23

4. भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर वैज्ञानिक साहित्य एवं सांख्यिकीय डेटा का उपयोग 25

5. भारत में वर्तमान में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर सांख्यिकीय डेटा 26

5.1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पृष्ठभूमि वाला जनसंख्या स्टॉक 26

5.2 विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों का स्टॉक (प्रवासी) 32

5.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रवाह 33

अनुलग्नक 1: भारत में प्रवासन संबंधी मुद्दों पर प्रकाशनों की सूची 37

अनुलग्नक 2: प्रवासन-प्रासंगिक एसडीजी संकेतक 42

आभारोक्ति

यह मार्गदर्शन टिप्पणी मिशेल पौलेन, ऐनी हर्म और गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी द्वारा लिखी गई थी। मिशेल पौलेन, प्रोजेक्ट लीडर, यूसी लौवेन, बेल्जियम में प्रोफेसर एमेरिटस एवं तेलिन विश्वविद्यालय, एस्टोनिया में एक वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। ऐनी हर्म सांख्यिकी, एस्टोनिया में जनसंख्या सांख्यिकी अनुभाग की पूर्व प्रमुख हैं। वह यूरोस्टेट, लक्ज़मबर्ग में राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी थीं और वर्तमान में तेलिन विश्वविद्यालय, एस्टोनिया में शोधकर्ता हैं। स्वतंत्र विशेषज्ञ गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी, एक जनसंख्या और प्रवासन सांख्यिकी विशेषज्ञ है, जिसे दुनिया भर में प्रचलित डेटा संग्रह विधियों का व्यापक ज्ञान है।

सर्वप्रथम, लेखक आईओएम इंडिया, विशेष रूप से संजय अवस्थी (कार्यालय प्रमुख), श्रेयशी भट्टाचार्य, सोनम ढेधेन डेन्जोंगपा तथा सुरक्षा चंद्रशेखर को उनके परियोजना इनपुट और पूरी परियोजना के दौरान सहयोग हेतु धन्यवाद देते हैं। यह परियोजना आईओएम इंडिया के पूर्ववर्ती भारत प्रवासन केंद्र, भारतीय वैश्विक परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रवासन, गतिशीलता और प्रवासी अध्ययन केंद्र (सीएमएमडीएस) और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र की एक संयुक्त पहल है। लेखक सभी के द्वारा किए गए विभिन्न योगदानों और ज्ञान साझा करने की सराहना करते हैं, जिसके बिना इस परियोजना में यहां प्रस्तुत विवरण नहीं दिए जा सकते थे।

संक्षेपाक्षर

बीओआई	ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन
सीपीवी	कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा डिवीजन
ईसी	इमिग्रेशन क्लीयरेंस
ईसीआर	इमिग्रेशन चेक रिक्वायड
ईजीआरआईएस	शरणार्थी एवं आईडीपी सांख्यिकी पर विशेषज्ञ समूह
जीसीएम	ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर इमिग्रेशन
जीएमडीएसी	वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र
आईसीएम	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय वैश्विक परिषद
आईसीडब्ल्यूएफ	भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन
आईआरआरएस	शरणार्थी सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशें
केपीएसके	क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र
एमएडीएडी	कांसुलर सेवा प्रबंधन तंत्र
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
एनआरआई	अप्रवासी भारतीय
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
ओसीआई	भारत का विदेशी नागरिक
पीबीबीवाई	प्रवासी भारतीय बिमा योजाना
पीकेवीवाई	प्रवासी कौशल विकास योजना
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीओई	प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेट्स
पीएसपी	पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
यूएनडीईएसए	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक संबंध
यूएनजीएमडी	संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रवासन डेटाबेस
यूएनएचसीआर	संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल निधि
यूएनएसडी	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग
यूएसडी	अमरीकी डॉलर

कार्यकारी सारांश

इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सांख्यिकीय डेटा की उपलब्धता एवं इस्तेमाल का विस्तृत अवलोकन उपलब्ध कराना है। यह भारत के संघीय अधिकारियों और अनुसंधान से जुड़े लोगों द्वारा किए गए प्रवास-संबंधी डेटा संग्रह हेतु राष्ट्रीय डेटा स्रोतों और तरीकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें और संकेतक दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि तैयार किए गए आंकड़े वैश्विक मानकों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के अनुरूप हैं।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सांख्यिकीय डेटा की उपलब्धता एवं इस्तेमाल का विस्तृत अवलोकन उपलब्ध कराना है। यह भारत के संघीय अधिकारियों और अनुसंधान से जुड़े लोगों द्वारा किए गए प्रवास-संबंधी डेटा संग्रह हेतु राष्ट्रीय डेटा स्रोतों और तरीकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें और संकेतक दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि तैयार किए गए आंकड़े वैश्विक मानकों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के अनुरूप हैं। इसलिए, रिपोर्ट नीति निर्माताओं, सांख्यिकीय अधिकारियों, शोधकर्ताओं, प्रवासन डेटा विशेषज्ञों एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति ढांचे के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु एक उपयोगी मार्गदर्शिका है।

यह रिपोर्ट भारत में तैयार सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ नीतिगत ढांचे की तुलना करने का एक साधन उपलब्ध करती है। भारत में विभिन्न प्रशासनिक डेटाबेस से डेटा को संबोधित किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रवासन के क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य की समीक्षा भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर डेटा एवं उसके स्रोत को पहचानने के लिए आयोजित की जाती है, जिसका उपयोग अकादमिक अनुसंधान हेतु किया जा सकता है। इससे देश में प्रवासन प्रक्रियाओं को मैप करने हेतु मौजूदा डेटा की क्षमता और नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए अकादमिक शोध को सीमित करने वाले अंतराल की पहचान करने में मदद मिलेगी।

इस मार्गदर्शन में पाँच खंड हैं। पहले खंड में अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर सांख्यिकीय आंकड़े दिए गए हैं, जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन (जीसीएम) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित साक्ष्य-आधारित नीतियों को सूचित करने हेतु प्रवासन संबंधी डेटा का संग्रह और प्रबंधन की आवश्यकता को दोहराता है। इसमें विषयों की अनुशंसित कवरेज एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सांख्यिकीय डेटा के वर्गीकरण को सूचीबद्ध किया गया है। दूसरे खंड में उन भारतीय सरकारी संस्थानों की पहचान की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित डेटा का प्रबंधन करते हैं। ये संस्थान प्रवासियों से जानकारी एकत्र करते हैं, खासकर जब उनके दस्तावेजों को एंट्री एवं एग्जिट बंदरगाहों पर प्रोसेस किया जा रहा हो या संस्थान के आदेश के अनुसार सेवाएं प्रदान की जा रही हों।

तीसरे खंड में इन संस्थानों द्वारा प्रकाशित और हितधारकों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझा किए गए सांख्यिकीय डेटा को प्रदर्शित किया गया है। चौथे खंड भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की प्रवृत्तियों पर अपने शोध हेतु भारतीय शिक्षाविदों द्वारा उपयोग किए गए सांख्यिकीय डेटा को चिन्हित किया गया है। चुने गए साहित्य की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

अंतिम खंड में वर्तमान में तैयार किए गए और भारत में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सांख्यिकीय डेटा का विवरण दिया गया है। यह भारत के सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित विभिन्न डेटा संग्रह गतिविधियों द्वारा कवर किए गए एकत्रित चर एवं जनसंख्या को प्रस्तुत करता है।

संक्षिप्त कार्यप्रणाली

अनुसंधान पद्धति को तत्कालीन भारत प्रवासन केंद्र, अब भारतीय वैश्विक परिषद के प्रवासन, गतिशीलता एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र (सीएमएमडीएस), वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी) तथा प्रमुख प्रवासन विशेषज्ञों और प्रैक्टिशनर्स के परामर्श से तैयार किया गया था। साहित्य की शुरुआती समीक्षा के बाद, दो दिनों में गहन गुणात्मक परामर्श के तीन दौर आयोजित किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान में भारत सरकार एवं गैर-सरकारी हितधारकों द्वारा प्रवासन पर डेटा कैसे एकत्र किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अच्छी कार्यप्रणाली, अंतरालों और जरूरतों की पहचान और डेटा आवश्यकताओं के आकलन से अच्छे प्रवासन प्रशासन, प्रभावी प्रबंधन और तैयारियों एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रवासन डेटा के उपयोग के दायरे एवं क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है। प्रत्येक परामर्श के लिए, हितधारकों से एक पूर्व-परामर्श प्रश्नावली का जवाब देने का अनुरोध किया गया था।

अनुसंधान पद्धति को तत्कालीन भारत प्रवासन केंद्र, अब भारतीय वैश्विक परिषद के प्रवासन, गतिशीलता एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र (सीएमएमडीएस), वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी) तथा प्रमुख प्रवासन विशेषज्ञों और प्रैक्टिशनर्स के परामर्श से तैयार किया गया था। साहित्य की शुरुआती समीक्षा के बाद, दो दिनों में गहन गुणात्मक परामर्श के तीन दौर आयोजित किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान में भारत सरकार एवं गैर-सरकारी हितधारकों द्वारा प्रवासन पर डेटा कैसे एकत्र किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अच्छी कार्यप्रणाली, अंतरालों और जरूरतों की पहचान और डेटा आवश्यकताओं के आकलन से अच्छे प्रवासन प्रशासन, प्रभावी प्रबंधन और तैयारियों एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रवासन डेटा के उपयोग के दायरे एवं क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है। प्रत्येक परामर्श के लिए, हितधारकों से एक पूर्व-परामर्श प्रश्नावली का जवाब देने का अनुरोध किया गया था।

पहले दिन, आईसीडब्ल्यूए और जीएमडीएसी के समन्वय में विदेश मंत्रालय के विभागों एवं उप-प्रभागों के साथ प्रवासन डेटा परामर्श आयोजित किया गया।

विदेश मंत्रालय के हितधारकों में आईसीडब्ल्यूए, ई-माइग्रेट, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके), भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), प्रवासी संरक्षक (पीओई), मदद, पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

(आरपीओ), पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और कांसुलर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (एमएडीएडी) के प्रतिनिधि शामिल थे।

दूसरे दिन, आईओएम, आईसीडब्ल्यूए एवं जीएमडीएसी के समन्वय से शिक्षाविदों और जनसांख्यिकीविदों के साथ प्रवासन डेटा परामर्श आयोजित किया गया। तीसरे दिन परामर्श भारत में स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) और एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) था। राष्ट्रीय कौशल और विकास सहयोग, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ अन्य परामर्श आयोजित किए गए।

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित डेटा संग्रह

दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सरकारों को साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के लिए सही साधन प्रदान करने और राष्ट्रीय डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरुप बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन-संबंधी आंकड़ों पर कई नीतिगत ढाँचों के अनुरूप सिफारिशें प्रस्तावित की हैं।

दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सरकारों को साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के लिए सही साधन प्रदान करने और राष्ट्रीय डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरुप बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन-संबंधी आंकड़ों पर कई नीतिगत ढाँचों के अनुरूप सिफारिशें प्रस्तावित की हैं। जनसंख्या स्टॉक और प्रवास फ्लोर के आकार और संरचना और मूल देश में प्रवास के प्रभाव से लेकर देश में आप्रवासियों के एकीकरण तक के निर्धारकों, परिणामों एवं चुनौतियों के आकलन और निगरानी के लिए बेहतर एवं नई आकलन आवश्यकताएं उभरी हैं। इस खंड में मुख्य प्रावधानों और प्रस्तावित सारणियों की समीक्षा की गई, विशेष रूप से वे जो सीधे जनसंख्या की मात्रा एवं प्रवासियों के प्रवाह पर लागू होते हैं।

1.1. प्रवास सांख्यिकी और जनसंख्या जनगणना पर आवश्यकताएँ

संयुक्त राष्ट्र प्रवासन आंकड़ों के प्रावधान में शामिल रहा है, विशेषतः 1998 (यूएन, 1998)[1] में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के आंकड़ों पर सिफारिशों, संशोधन 1, जनसंख्या एवं आवास जनगणना पर सिद्धांत एवं सिफारिशें (संशोधन 3 यूएन 2017)[2] के अनुरूप और 2020 में जारी जनसंख्या जनगणना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को मापने पर हैंडबुक (यूएन, 2020)[3]

प्रवासन आंकड़ों पर सिफारिशें दो-चरण वाला व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जनसंख्या की मात्रा और प्रवास प्रवाह के आकार एवं संरचना की पहचान करने के महत्व को दर्शाती है। सबसे पहले, डेटा स्रोतों, समय या अवधि एवं आंकड़ों की उपलब्धता के लिए कोड के साथ अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह आंकड़ों के संकलन हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश स्थिति, नागरिकता और इस ढांचे को रेखांकित करने वाली अवधारणाओं के आधार पर अंतर्वाह और बहिर्वाह का एक वर्गीकरण तैयार किया गया। दूसरा, सिफ़ारिशों में प्रवासन को सामान्य निवास के देश में बदलाव के रूप में परिभाषित किया गया और अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रवासन के बीच अंतर किया गया।

1 United Nations, Department of Economic & Social Affairs Statistics Division (1998), Recommendation on Statistics of International Migration:Revision 1, Series M, No. 58, Available at ://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf.

2 United Nations, Department of Economic & Social Affairs Statistics Division (2017), Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses: Revision 3, Available at https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recom- mendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf.

3 United Nations, Demographic and Social Statistics, Available at: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/ Handbooks/international-migration/2020-Handbook-Migration-and-Censuses-E.pdf.

सिफ़ारिशों में विभिन्न विशेषताओं के आधार पर प्रवासियों के प्रवाह, जनसंख्या स्टॉक एवं शरण पर कुछ तालिकाएं प्रस्तावित की गई। प्राथमिकता तालिकाओं के चयन में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्राथमिकता तालिकाएँ	प्रवाह, जनसंख्या स्टॉक और विशेषताएँ
I. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी प्रवाह पर अनुशंसित तालिकाएँ	
1-3	आने वाले प्रवासियों की संख्या, लिंग और नागरिकता के देश, जन्म का देश और सामान्य निवास के पिछले देश के आधार पर बांटे गए
20	विदेश में काम करने वाले नागरिकों की संख्या, लिंग, आयु समूह और सामान्य निवास के पिछले देश में व्यवसाय के आधार पर बांटे गए
II. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी बहिर्प्रवाह पर अनुशंसित तालिकाएँ	
1-3	जाने वाले प्रवासियों की संख्या, लिंग और नागरिकता के देश, जन्म के देश और सामान्य निवास के अगले देश के आधार पर अलग-अलग
20	विदेश में काम करने के इच्छुक प्रवासी नागरिकों की संख्या, लिंग, आयु समूह और सामान्य निवास के भविष्य के देश में व्यवसाय के आधार पर अलग-अलग

इसके अलावा, 2020 में, संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को संशोधित करते हुए,[4] अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर अवधारणाओं और परिभाषाओं के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की व्यापक अवधारणा का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- प्रवासन प्रवाह और जनसंख्या स्टॉक के बीच एक स्पष्ट संबंध।
- अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आवागमन एवं अस्थायी जनसंख्या पर उनके प्रभावों पर आँकड़ों पर विचार।
- निवासी आबादी में वे लोग शामिल हैं जो किसी वर्ष, कम से कम 6 महीने +1 दिन या 12 महीने के भीतर देश में निवास करते हैं या रहने का इरादा रखते हैं, जैसा कि जनसंख्या एवं आवास जनगणना के नवीनतम सिद्धांतों और सिफारिशों में परिभाषित किया गया है।

निकट भविष्य में अधिक कुशल प्रवासन डेटा संग्रह के लिए इस नए वैचारिक ढांचे का ठोस सिफारिशों और व्यावहारिक सलाह में बदलने की अपेक्षा है।

जनसंख्या जनगणना के लिए सिद्धांतों एवं सिफारिशों के विकास में उन अवधारणाओं और परिभाषाओं पर विचार किया गया जो प्रवासन संबंधी आंकड़ों, विशेष रूप से सामान्य निवास स्थान पर लागू होने वाले पूरक हैं। इसके अलावा, जनसंख्या जनगणना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को मापने पर हैंडबुक (यूएन, 2020) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित कई आंकड़े, सारणी और संकेतक प्रदर्शित करता है जिन्हें जनगणना से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत सूचियाँ व्यापक होते हुए भी किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं। केवल कुछ जनगणनाएँ सूचीबद्ध सभी आँकड़े प्रस्तुत कर सकती हैं, और कुछ को कुछ देशों द्वारा इसके उपयोग हेतु मुख्य संकेतक के रूप में अनुशंसित किया जाता है। ये हालिया प्रावधान अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक, हाल के प्रवासियों, प्रवासियों और शुद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित आंकड़े प्रस्तावित करते हैं।

इसलिए, निम्नलिखित डेटा और आँकड़े तैयार करने की अनुशंसा की जाती है:

4 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/1

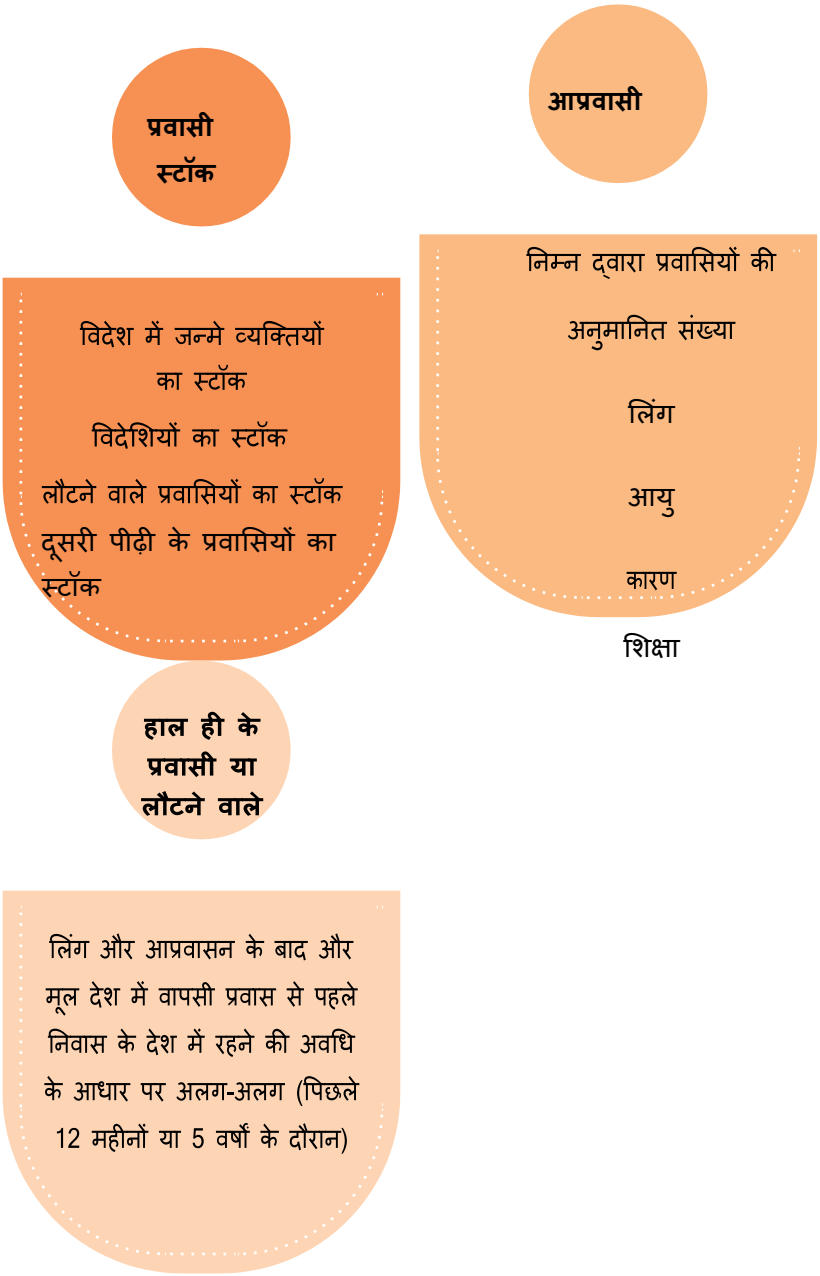
प्रवासी स्टॉक
आप्रवासी
विदेश में जन्मे व्यक्तियों का स्टॉक
विदेशियों का स्टॉक
लौटने वाले प्रवासियों का स्टॉक
दूसरी पीढ़ी के प्रवासियों का स्टॉक
निम्न द्वारा प्रवासियों की अनुमानित संख्या
लिंग
आयु
कारण
शिक्षा
हाल ही के प्रवासी या लौटने वाले
लिंग और आप्रवासन के बाद और मूल देश में वापसी प्रवास से पहले निवास के देश में रहने की अवधि के आधार पर अलग-अलग (पिछले 12 महीनों या 5 वर्षों के दौरान)

लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धि, श्रम शक्ति की स्थिति, प्रमुख व्यवसाय, उद्योग की शाखा, रोजगार की स्थिति एवं आमतौर पर घर पर बोली जाने वाली भाषा के अलावा, निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा और अधिक पृथक्करण की आवश्यकता है:

- जन्म का देश
- नागरिकता का देश
- नागरिकता हासिल करने का तरीका
- आगमन का वर्ष या अवधि
- पिछले या अंतिम निवास का देश (लौटने वाले प्रवासियों के मामले में)
- माता-पिता के जन्म का देश

हैंडबुक इन आँकड़ों के लिए प्रस्तावित सारणियाँ भी प्रस्तुत करती है।

1.2. श्रम प्रवासन पर सांख्यिकी की आवश्यकताएँ

श्रम प्रवासन से संबंधित सांख्यिकीय ढांचे को अद्यतन करने के प्राथमिक प्रावधान के रूप में, 2018 में, आईएलओ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन के सांख्यिकी संबंधी दिशानिर्देश (आईएलओ, 2018[5]) जारी किए। नए ढांचे में मुख्य सामाजिक-जनसांख्यिकीय, प्रवासन एवं कार्य विशेषताओं की परिभाषा प्रदान करने के बावजूद, एक कार्यप्रणाली और सारणी प्रस्तावित की जानी चाहिए। अब तक, आईएलओ 44 संकेतकों का एक सेट एकत्र करता है, उदाहरण के लिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लिंग, आयु एवं जन्म स्थान/नागरिकता के आधार पर कामकाजी जनसंख्या की उम्र
- लिंग और निवास के देश के आधार पर विदेश में नागरिकों का स्टॉक
- लिंग और जन्म के देश के आधार पर विदेश में जन्मी कामकाजी उम्र की आबादी का प्रवाह
- लिंग एवं गंतव्य देश के आधार पर नागरिकों का बहिर्गमन।

इन दिशानिर्देशों में डेटा एकत्र करने की पद्धतियों को देश की विशेष आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन संबंधी आंकड़ों के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को व्यापक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इस जानकारी में मुख्य सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं एवं तीन विशिष्ट श्रेणियों के प्रवासी एवं कार्य की स्थिति पर डेटा शामिल होना चाहिए, उदाहरण के लिए, (1) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक, (2) काम की तलाश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी और (3) वापस लौटने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक।

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdf

1.3. एजेंडा 2030 और जीसीएम के लिए डेटा

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य[6] के अनुरुप, 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतत विकास[7] हेतु 2030 एजेंडा पर सहमत हुआ। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संकेतक फ्रेमवर्क[8] ने गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अच्छे कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए 17 लक्ष्य स्थापित किए, जो निगरानी एवं आकलन में आसानी के लिए 169 लक्ष्यों और 232 से अधिक संकेतकों में विभाजित हैं।

एसडीजी में एक संकेतक के रूप में, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन, प्रवासियों के सकारात्मक योगदान और 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के सामान्य उद्देश्य पर ध्यान देते हुए प्रवासन को पहली बार अंतरराष्ट्रीय विकास फ्रेमवर्क में शामिल किया गया था। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सीमित संदर्भ दिया गया है। प्रवासन से संबंधित संकेतकों की अलग-अलग श्रृंखला को प्रत्यक्ष रूप से (माप के फोकस के रूप में, उदाहरण के लिए, संकेतक 16.2.2 - प्रति 100,000 जनसंख्या पर मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या, लिंग, आयु एवं शोषण के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रूप से (उदाहरण के लिए, 'प्रवासी स्थिति' या अन्य प्रवास-प्रासंगिक पहलुओं के आधार पर डेटा के पृथक्करण के संदर्भ में, संकेतक 8.8.1 - लिंग एवं प्रवासी स्थिति के आधार पर अधिक प्रभावी और अप्रभावी व्यावसायिक हानि की आवृत्ति दर) शामिल किया गया है।

एसडीजी संकेतक फ्रेमवर्क[9] 2020 की समीक्षा ने इन संकेतकों में कुछ बदलाव निर्धारित किए, जैसे संकेतक 10.7.3 "अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य की ओर प्रवास करने के दौरान मरने वाले या गायब होने वाले लोगों की संख्या" की शुरूआत। प्रवासन-प्रासंगिक एसडीजी संकेतकों के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कुछ विश्लेषण और मार्गदर्शन स्थापित किए हैं।

2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन (जीसीएम)[10] के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट को अपनाया, जो अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन फ्रेमवर्क है। जीसीएम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के प्रशासन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना, प्रवासन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने वाली राष्ट्रीय नीतियों के लिए व्यापक समाधान प्रदान करना और राज्यों को उनकी प्रवासन वास्तविकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने हेतु सुविधा प्रदान करना है। जीसीएम उद्देश्यों को अपनाने से पहले, सभी प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2003 में लागू हुआ, जिसमें प्रवासन एवं मानव अधिकारों के बीच संबंध पर बल दिया गया। इस सम्मेलन ने कुछ न्यूनतम मानक स्थापित किए जिन्हें राज्यों को प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सदस्यों पर लागू करना चाहिए, भले ही उनकी प्रवासी स्थिति कुछ भी हो।[11]

इसलिए, जीसीएम के अनुसार सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता एसडीजी संकेतक फ्रेमवर्क के लक्ष्य 10.7 और सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन[12] के अनुरूप है। कुल मिलाकर, जीसीएम का उद्देश्य 1 देशों से साक्ष्य-आधारित नीतियों के आधार के रूप में सटीक एवं अलग-अलग डेटा एकत्र करने तथा उपयोग करने का आह्वान करता है।

6 United Nations, Millennium Goals (2015), Available at https://www.un.org/millenniumgoals/.

7 United Nations, Department of Economic & Social Affairs, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Available at https://sdgs.un.org/2030agenda.

8 United Nations, Department of Economic & Social Affairs, The 17 Goals,, Available at: https://sdgs.un.org/goals.

9 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/.

10 https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

11 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet24rev.1en.pdf

12 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित डेटा का प्रबंधन कर रहे भारतीय संस्थान

भारत में, कई संस्थान, मंत्रालय एवं विशिष्ट विभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित डेटा का प्रबंधन करते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत जनसंख्या जनगणना प्रभारी विभाग अपने उद्देश्य के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आंकड़े तैयार करते हैं। साथ ही, विदेश मंत्रालय (एमईए) ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म ऐसे डेटाबेस बनाए रखता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित अतिरिक्त आंकड़े, जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के पैटर्न एवं रुझान प्रदान करने के लिए उपयोगी होंगे। इसमें रोजगार के क्षेत्र और विशिष्ट जॉब प्रोफाइल शामिल हैं जिनकी मांग गंतव्य देशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के द्वारा पूरी की जाती है।

2.1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय:

यह मंत्रालय कई प्रभागों से मिलकर बना है, जिनमें सर्वेक्षण डिजाइन एवं अनुसंधान प्रभाग, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग, फील्ड संचालन प्रभाग, सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग और डेटा सूचना विज्ञान एवं नवाचार प्रभाग शामिल हैं।[13,14]

राष्ट्रीय **नमूना सर्वेक्षण कार्यालय** (एनएसएसओ) ने जुलाई 2007 से जून 2008 तक एनएसएस के 64वें दौर में परिवारों का एक अखिल भारतीय **सर्वेक्षण किया**, जो रोजगार और बेरोजगारी के साथ -साथ भारत में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गतिशीलता पर केंद्रित था। हालाँकि, एनएसएस के अगले दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के विषय पर विचार नहीं किया गया।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अंतिम दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं थे।

जनवरी-दिसंबर 2020 में आयोजित **मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे** (78 वां दौर) में 'घरेलू सदस्यों के माइग्रेशन विशेष' पर एक खंड शामिल था, जो घरेलू सदस्यों की पहचान करने में मदद कर सकता है जो निवास के अंतिम स्थान और आगमन के समय के आधार पर विदेश से लौट आए थे।

13 http://mospi.nic.in/.

14 https://mospi.gov.in/documents/213904/848928/Annual_Report_2020_21_Eng.pdf/d448c47a-fa4e-17c5-7a34-e8fe-3063b06a?t=1613993557446

2.2. गृह मंत्रालय

रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय

1. **जनसंख्या एवं आवास जनगणना:** पिछली दो जनगणनाएँ 2001 और 2011 में आयोजित की गई थीं। 2021 की जनगणना को महामारी के कारण 2022 तक के लिए टाल दिया गया था। 2001 और 2011 दोनों की जनगणना प्रश्नावली में निवास, जन्म स्थान एवं नागरिकता के देश संबंधी कुछ प्रश्न थे। इसमें भारत में सामान्य निवास वाले विदेशी भी शामिल थे।

2. **जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर:** विदेश में होने वाले भारतीय नागरिकों के सभी जन्म और मृत्यु की सूचना देश की कांसुलर सेवाओं को दी जानी चाहिए, और जानकारी विदेश मंत्रालय के कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीज़ा (सीपीवी) विभाग द्वारा रजिस्ट्रार पंजीकरण को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

3. **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) देश के सामान्य निवासियों की एक रजिस्ट्री है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 एवं नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय (गांव/उप-नगर), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इन नियमों के अनुसार, भारत के प्रत्येक निवासी व्यक्ति को एनपीआर के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एनपीआर में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं।

   i. एनपीआर के लिए, किसी भी सामान्य निवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहना चाहता हो।

   ii. एनपीआर का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे।

   iii. सीधे तौर पर, एनपीआर के लिए डेटा 2010 से भारत की जनगणना 2011 के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ एकत्र किया गया था। इस डेटा को 2015 में घर-घर सर्वे करके अपडेट किया गया था।

   iv. एनपीआर डेटाबेस को अभी भी पूरा करने की आवश्यकता है, और अद्यतन जानकारी का डिजिटलीकरण आधार कार्ड संबंधी मुद्दे से जुड़ा हुआ था।[15]

   v. हाल ही में, जनगणना 2021 के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ एनपीआर को अपडेट करने का निर्णय लिया गया है, जो 2022 में आयोजित किया जाएगा।

   vi. एनपीआर के बारे में जानकारी एमएचए, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय[16] की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

गृह मंत्रालय के तीन अन्य प्रभाग, विदेशी प्रभाग, सीमा प्रबंधन प्रभाग एवं आप्रवासन ब्यूरो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रवासन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं:

15 A 12-digit number that is provided by the Unique Identification Authority of India (UIDAI).

16 https://censusindia.gov.in/2011-Common/IntroductionToNpr.html

विदेशी प्रभाग

यह प्रभाग भारत के प्रवासी नागरिकों के नागरिकता आवेदनों से संबंधित है।

अप्रवासन ब्यूरो

यह प्रभाग वीजा और निवास परमिट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक राज्य अपने निवास परमिट का प्रबंधन करता है और निवास परमिट एवं संबंधित निर्णयों के लिए आवेदनों पर कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं है।

सीमा प्रबंध प्रभाग

यह प्रभाग सीमा नियंत्रण हेतु जिम्मेदार है। द्वितीयक स्रोतों (साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों) से मिली जानकारी के अनुसार, डिजिटल डेटाबेस में केवल पासपोर्ट से पढ़ा गया बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया जाता है। पासपोर्ट के स्कैन किए गए पृष्ठ भी रखे जा सकते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं जो सांख्यिकीय सारणीकरण की अनुमति देता है। सीमा निकास एवं प्रवेश रिकॉर्ड प्रवासन प्रवाह पर प्रत्यक्ष और व्यापक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते सभी सीमाएं पर्याप्त रूप से कवर की गई हों, सभी सीमा पारगमन उपयुक्त रूप से दर्ज किए गए हों, और उचित पद्धति का पालन किया गया हो। फिर भी, इस परियोजना के दायरे में, इस डेटाबेस से डेटा की उपलब्धता का आकलन करना और तदनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आंकड़ों में सुधार हेतु सीमा डेटा का उपयोग करने के तरीकों का प्रस्ताव करना संभव नहीं था।

2.3. विदेश मंत्रालय

1. **ई-माइग्रेट प्लेटफ़ॉर्म** : ई-माइग्रेट भारत सरकार की एक परियोजना के परिणामस्वरूप 2015 में शुरू की गई एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्रवासन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, इसे आसान, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना और भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को विनियमित और सुविधाजनक बनाना है, विशेष रूप से ब्लू-कॉलर श्रमिकों के लिए।[17] प्लेटफ़ॉर्म पर निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल हैं।

   i. इस प्रणाली के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह मंत्रालयों और दूतावासों को आपस में जोड़ना है।

   ii. सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रवासियों के सभी प्रमुख हितधारकों को विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा परियोजना, गृह मंत्रालय के प्रवासन ब्यूरो, 18 इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) देशों, विदेशी नियोक्ताओं और पंजीकृत भर्ती एजेंटों में भारतीय मिशन के साथ सहयोग के माध्यम से एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाए।

   iii. ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट मुख्य रूप से उन प्रवासियों के लिए आवश्यक हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा (यानी, मैट्रिकुलेशन या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र) उत्तीर्ण नहीं किया है।

iv. जिन 18 देशों में ईसीआर पासपोर्ट धारकों और काम हेतु यात्रा करने वाली नर्सों के लिए उत्प्रवास मंजूरी आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं: अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, और यमन।

17 http://www.emigrate.gov.in/.

v. यह प्लेटफॉर्म अब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड (ईसीएनआर) श्रेणी के पासपोर्ट धारकों के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण हेतु भी खुला है।

vi. प्लेटफ़ॉर्म के होस्ट, विदेश मंत्रालय के पास सभी लिंक किए गए डेटाबेस तक पहुंच है।

vii. यह प्लेटफ़ॉर्म आपात स्थिति के दौरान भी उपयोगी साबित होता है जब प्रवासियों से नए पासपोर्ट जारी करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी या सहायता प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जाना होता है।

viii. इसके शुरु होने के पहले वर्ष के दौरान, 784,152 प्रवासन संबंधी मंजूरी पंजीकृत की गईं। हालाँकि, यह संख्या तेजी से घटी और 2017 में, यह अनुमान लगाया गया कि 20.5 प्रतिशत संभावित उपयोगकर्ता सिस्टम[18] में शामिल थे। 2021 में, 128,817 उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त की गई, और जुलाई 2022 तक, 189,206 उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त की गईं।

2. **प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई)[19] :** यह एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। यह योजना शुरू में 2003 में शुरू की गई थी। प्रवासी श्रमिकों के कवरेज को मजबूत करने के लिए इसे 2006, 2008 और 2017 में संशोधित किया गया था। पीबीबीवाई नॉन-ईसीआर पासपोर्ट धारकों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। नॉन-ईसीआर श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले स्वेच्छा से ई-माइग्रेट पर पंजीकरण करना होगा, और उसी पंजीकरण संख्या का उपयोग पीबीबीवाई हेतु आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।

3. **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ)[20] :** इस कोष का उद्देश्य संकट में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है, और यह विदेशों में सभी भारतीय मिशनों में कार्यरत है।

4. **कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग (सीपीवी)[21] :** सीपीवी निम्नलिखित से संबंधित सभी नीतिगत मामलों को संभालता है:

- नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों एवं केंद्रों से उनके राजनयिकों और गैर – राजनयिक कर्मचारियों के लिए वीज़ा अनुरोधों का प्रसंस्करण करना
- विदेशी नागरिकों के लिए विदेश स्थित हमारे मिशनों में भारतीय वीज़ा जारी करना
- विदेश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण
- विदेश में हमारे मिशनों/पोस्टों द्वारा ओसीआई कार्ड जारी करना
- राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट जारी करना
- कांसुलर शिकायत
- दस्तावेज़ों का वैधीकरण/सत्यापन
- प्रत्यर्पण संबंधी मामले

5. **कांसुलर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम (MADAD)[22] :** कांसुलर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम (MADAD) विदेश मंत्रालय का एक पोर्टल है जो यूजर्स को विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा दी जाने वाली कांसुलर सेवाओं के बारे में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने हेतु स्थापित किया गया है। विदेश में पढ़ रहे या पढ़ने का विचार कर रहे भारतीय छात्र भी निकटतम भारतीय मिशनों और पोस्टों से संपर्क करने के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

---

18 ILO (2018), India Labour Migration Update 2018, Available at https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_631532.pdf.

19 Ministry of External Affairs, Government of India, Pravasi Bharatiya Bima Yojana 2017, Available at https://www.mea.gov.in/pbby.htm.

20 Ministry of External Affairs, Government of India, Indian Community Welfare Fund, Available at https://www.mea.gov.in/icwf.htm.

21 Ministry of External Affairs, Government of India, Consular, Passport & Visa Division, Available at: https://mea.gov.in/cpv.htm.

22 Ministry of External Affairs, Government of India, Madad, Available at https://madad.gov.in/.

6. **प्रोटेक्टर-जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स (पीजीई)[23] :** विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पीजीई विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु जिम्मेदार प्राधिकरण है। पीजीई विदेशी मानव शक्ति निर्यात व्यवसायों हेतु भर्ती एजेंटों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारण भी है। उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के तहत प्रोटेक्टर-जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के पास अपराधों और दंडों के लिए अभियोजन की मंजूरी देने, पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने, रद्द करने और विदेशी नियोक्ता (एफई) को परमिट जारी करने की भी शक्ति है।

7. **प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (पीओई)[24]:**
पीओई उत्प्रवासन अधिनियम 1983 द्वारा उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के तहत उन्हें सौंपे गए कार्य करता है। पीओई ईसीआर देशों की यात्रा करने वाले अकुशल श्रमिकों के उत्प्रवास आवेदनों की समीक्षा करता है और तदनुसार उत्प्रवास की मंजूरी जारी करता है।

ईसीआर देशों में अकुशल श्रमिकों के प्रवास का डेटा फ्लो इस प्रकार है:

प्रवासी पीओई को सभी उत्प्रवास दस्तावेज प्रदान करता है → पीओई इसके पश्चात ईसीआर के लिए आवेदन की समीक्षा करता है → मंजूरी मिलने के बाद उत्प्रवास की मंजूरी जारी की जाती है → डेटा बीओआई को जाता है → बीओआई इसके बाद एग्जिट बंदरगाह पर उत्प्रवास मंजूरी एवं पासपोर्ट का सत्यापन करता है।

8. **पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी)25 :**
विदेश मंत्रालय का पीएसपी प्रभाग केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और उसके 36 पासपोर्ट कार्यालयों, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के नेटवर्क के ज़रिए पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है। पीएसपी प्रभाग विदेशों में भारतीय मिशनों एवं पोस्टों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों/विदेशी नागरिकों को कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं प्रदान करता है। पासपोर्ट जारी करने का कार्य निम्नलिखित कानूनी ढांचे के तहत किया जाता है: पासपोर्ट अधिनियम 1967, पासपोर्ट नियम 1980 (समय-समय पर संशोधित), राजपत्रित अधिसूचनाएं और प्रशासनिक दिशानिर्देश।

9. **क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके)[26] :** पहले इसके प्रवासी संसाधन केंद्र के मान से जाना जाता थे, कोच्चि, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र इस प्रकार सहायता करते हैं,

i. शिकायतों को पंजीकृत करना, जवाब देना एवं निगरानी करना

ii. उत्प्रवास पर जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना

iii. ज्ञान एवं परामर्श केन्द्र के रूप में कार्य करना

iv. विदेशी रोजगार की व्यवस्था के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करना

23 Ministry of External Affairs, Government of India, Consular Services, Available at https://mea.gov.in/protector-general-emigrants.htm

24 Ministry of External Affairs, Government of India, Protector General of Emigrants, Available at: https://mea.gov.in/protector-general-emi-grants.htm.
25 Ministry of External Affairs, Government of India, Passport Seva, Available at https://www.passportindia.gov.in/.
26 Ministry of External Affairs, Government of India, Overseas Workers Resource Centers & Migrant Resource Centers, Available at: https://www.mea.gov.in/images/pdf/owrc-and-mrc.pdf.

10. **प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके)[27] :** पहले इसे प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र के रूप में जाना जाता था, इसे दुबई (यूएई), शारजाह (यूएई), रियाद (सऊदी अरब साम्राज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया)[28] में स्थापित किया गया है। ये केंद्र प्रवासी भारतीय श्रमिकों से संबंधित सभी मामलों पर मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करते हैं। पीबीएसके का मुख्य उद्देश्य विदेश में श्रमिकों को रोजगार के लिए सुविधा प्रदान करने और सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो के रूप में कार्य करना है। पीबीएसके, 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ, शिकायतों को तुरंत निपटाता है, साथ ही आवश्यकतानुसार निवारण भी प्रदान करता है।[29]

11. **प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई)[30] :** यह पहल भारतीय श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु विदेश मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य विदेशी रोजगार की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों एवं जॉब रोल में संभावित प्रवासी श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना है।

---

27 Ministry of External Affairs, Government of India, Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra, Available at https://pbsk.cgidubai.gov.in/

28 https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/693577/1/IQ_247_03012019_U2418_p177_p179.pdf

29 https://www.mea.gov.in/Images/attach/Pravasi_ Bharatiya_Sahayta_Kendra _new.pdf

30 Ministry of External Affairs, Government of India, Question No. 18 Launching of Pravasi Kaushal Vikas Yojana, Rajya Sabha, Available at, https://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/28038/ पर उपलब्ध है।

3. अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर सांख्यिकी और डेटा

कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं उससे संबंधित मालमों पर डेटा प्रकाशित और विश्लेषण करते हैं। हालाँकि, केवल कुछ ही राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थानों से सीधे प्राप्त डेटा एकत्र, विश्लेषण और प्रकाशित करते हैं या देशों में प्रत्यक्ष डेटा तैयार करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों पर प्रकाशित कई डेटासेट विभिन्न स्रोतों से डेटा के संयोजन पर आधारित अनुमान हैं। इस खंड में भारत के लिए उपलब्ध मुख्य डेटासेट का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है, जो भारतीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुमानित डेटा पर केंद्रित है। यह सूची अन्य देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए भारत से प्रवासन प्रवाह पर डेटा प्रस्तुत नहीं करती है।

3.1. यूएनडीईएसए

अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन डेटा यूएनडीईएसए के तहत यूएनएसडी द्वारा बनाए गए संयुक्त राष्ट्र डेटा पोर्टल[31] के ज़रिए उपलब्ध हैं। यूएनएसडी जनसांख्यिकीय इयरबुक डेटा कलेक्शन सिस्टम के ज़रिए जनसंख्या विषयों पर वार्षिक डेटा एकत्र करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं प्रवासन सांख्यिकी और जनगणना प्रश्नावली पर प्रश्नावली शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जनगणना में गणना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक और प्रवाह पर तालिकाएं भी शामिल हैं। यूएनडीईएसए के तहत, यूएनएसडी निम्नलिखित डेटाबेस में प्रवासन से संबंधित डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है:

- जनसंख्या जनगणना डेटासेट
- जनसांख्यिकीय इयरबुक संग्रह
- एसडीजी संकेतक वैश्विक डेटाबेस
- वैश्विक प्रवासन डेटाबेस

इन डेटाबेस में दो प्रकार के डेटा प्रकाशित किए जाते हैं: देशों द्वारा प्रदान किया गया डेटा (उदाहरण के लिए, भारत) और संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा सीधे एकत्र या अनुमानित डेटा। इन अनुमानों के लिए, विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिसमें भारत के अलावा अन्य देशों द्वारा भारत से तथा भारत में प्रवासन प्रवाह और भारत से होने वाले जनसंख्या स्टॉक पर रिपोर्ट किए गए डेटा शामिल हैं।

31 https://data.un.org/

3.1.1. जनसंख्या जनगणना डेटासेट[32]

भारत के संबंध में, प्रवासन से संबंधित जनगणना डेटा 2001 की जनगणना के परिणामों तक ही सीमित हैं। प्रवासन से संबंधित जनसंख्या स्टॉक के डेटा में लिंग, विशिष्ट महाद्वीपों और जन्म के कुछ चयनित देशों के आधार पर विदेश में जन्मी कुल आबादी का डेटा शामिल है:

- आयु, लिंग और शहरी/ग्रामीण निवास के आधार पर मूल निवासी और विदेश में जन्मी जनसंख्या, भारत, 2001 (लिंग के आधार पर केवल विदेश में जन्मे कुल)। नीचे दी गई तालिका यूएनएसडी तालिका से एक उद्धरण है।

तालिका 1: लिंग के आधार पर भारत की विदेश में जन्मी जनसंख्या, 2001

देश या क्षेत्र	कुल	पुरुष	महिला
भारत	6,166,930	3,174,717	2,992,213

3.1.2. जनसांख्यिकीय इयरबुक संग्रह

जनसांख्यिकी वार्षिकी प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष एकत्र किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन डेटा को *'अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं प्रवासन सांख्यिकी पर सारणीकरण'* खंड में प्रकाशित किया जाता है।[33] इस पृष्ठ में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और प्रवासन प्रवाह एवं बहिर्वाह, और आगमन और प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर कई विशेषताओं के आधार पर कई डेटासेट शामिल हैं, जैसा कि राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक डेटा संग्रह कार्यक्रम के माध्यम से यूएनएसडी को रिपोर्ट किया गया है। हालाँकि, यूएनएसडी द्वारा चयनित देशों पर डेटा प्रकाशित किया जाता है, और भारत वर्तमान में इनमें से नहीं है।

3.1.3. एसडीजी संकेतक वैश्विक डेटाबेस

प्रवासन-प्रासंगिक एसडीजी संकेतकों के संबंध में, आठ लक्ष्य (10 संकेतक) जिन्हें "प्रवासियों के लिए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सीधे तौर पर प्रवासियों से संबंधित हैं, दो संकेतकों को "पृथक्करण के लिए - न्यूनतम", स्पष्ट रूप से "प्रवासी स्थिति के आधार पर पृथक्करण" के रूप में चिन्हित किया गया है, "विभाजन के लिए - विस्तारित" के रूप में वर्गीकृत कुल 22 संकेतक स्पष्ट रूप से प्रवासी स्थिति के आधार पर पृथक्करण का आह्वान नहीं करते हैं, लेकिन गंतव्य देशों में प्रवासियों की रहने की स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं (अनुलग्नक 2 : प्रवासन- प्रासंगिक एसडीजी संकेतक देखें)

इन एसडीजी संकेतकों के संबंध में, यूएनएसडी डेटाबेस प्रवासियों से संबंधित संकेतकों पर भारत के लिए केवल चार मान प्रस्तुत करता है, जिसमें शामिल हैं:

- 10.7.4 - मूल देश के अनुसार शरणार्थी आबादी का अनुपात
- 10.सी.1 - प्रेषण लागत प्रेषित राशि के अनुपात के रूप में
- 16.2.2 - लिंग, आयु और शोषण के प्रकार के आधार पर प्रति 100,000 जनसंख्या पर मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या (लेकिन वर्ष 2011 में कुल मान)
- 17.3.2 - कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रेषण की मात्रा (अमेरिकी डॉलर में)।

- ये मान मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा से लिए गए हैं।

---

32 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Censuses' Datasets (1995-Present), Available at https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/dybcensusdata/ l

33 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Demographic Yearbook, Available at https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb_mf/dyb_mf.htm.

3.1.4. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रवासन डेटाबेस

यूएनडीईएसए[34] के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रवासन डेटाबेस (यूएनजीएमडी) विकसित किया है।[35] यह जन्म के देश एवं नागरिकता, लिंग और उम्र के आधार पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या ("स्टॉक") पर अनुभवजन्य डेटा का एक व्यापक संग्रह है, जिसे दुनिया के 200 से अधिक देशों की जनसंख्या जनगणना, जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण एवं अन्य आधिकारिक सांख्यिकीय स्रोतों द्वारा लिया गया है। डेटाबेस में यूएनएसडी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर भारत से और भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक पर अनुमान शामिल हैं।[36]

भारत के मामले में, 2020 में विदेशी आप्रवासियों और भारतीय प्रवासियों का अनुमान 4.9 मिलियन और 17.9 मिलियन है, मूल या गंतव्य के मुख्य देशों के विवरण के साथ जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। पहला आंकड़ा गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2011 की जनगणना से तुलनीय है। जबकि दूसरा अनुमान भारत से आने वाली अन्य देशों की आबादी के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। यूनिसेफ के सहयोग से, यूएनडीईएसए के जनसंख्या प्रभाग ने संकेतकों का यह सामान्य सेट तैयार किया है। इन संकेतकों की गणना भारत सहित कई देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग द्वारा की जाती है और उन्हें उनके प्रवासन प्रोफ़ाइल में प्रकाशित किया गया है।[37]

तालिका 2. आप्रवासियों एवं प्रवासियों का स्टॉक, भारत, 2020

भारत में विदेशी नागरिकों की संख्या जिनमें से:	**4,878,700**
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	0.4%
महिलाओं का प्रतिशत	53.4%
बांग्लादेश	2,488,500
पाकिस्तान	833,300
नेपाल	733,700
श्रीलंका	184,800
चीन	108,000
विदेश में भारतीय प्रवासियों की संख्या जिनमें से:	**17,869,500**
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	1.27%
महिलाओं का प्रतिशत	34.3%
संयुक्त अरब अमीरात	3,471,300
संयुक्त राज्य अमेरिका	2,723,800
सऊदी अरब	2,502,300
पाकिस्तान	1,597,100
ओमान	1,375,700

34 www.un.org/development/desa/pd/data/global-migration-database

35 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: International Migration, Available at https://esa.un.org/unmigration/index_sql.aspx|

36 Ibid

37 UNICEF, India: Migration Profiles, Available at https://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicator/files/India.pdf|

3.2. आईएलए

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) 44 संकेतकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन पर आंकड़े एकत्र एवं संकलित करता है। भारत के संबंध में, वर्तमान में डेटाबेस में केवल चार संकेतक उपलब्ध हैं:

- शिक्षा के स्तर के आधार पर कामकाजी उम्र की जनसंख्या
- लिंग के आधार पर गैर-नागरिक कामकाजी उम्र की आबादी
- निवास के देश के आधार पर विदेश में नागरिकों का स्टॉक
- गंतव्य देश के आधार पर नागरिकों का ऑउटफ्लो

तालिका 3 और 4 आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन सांख्यिकी डेटाबेस से निकाले गए डेटा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।[38] प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अनिवासी भारतीयों की वार्षिक रिपोर्ट डेटा के स्रोत के रूप में दी गई है। 2018 स्टॉक डेटा (तालिका 4) के लिए, स्रोत के रूप में विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक रिकॉर्ड दिए गए हैं।

तालिका 3. लिंग और गंतव्य देश के आधार पर नागरिकों का ऑउटफ्लो, भारत, 2010-2016

संदर्भ क्षेत्र	लिंग	गंतव्य का देश	समय	नागरिकों का ऑउटफ्लो (हजारों में)
भारत	कुल	कुल	2010	641
भारत	कुल	कुल	2011	627
भारत	कुल	कुल	2012	747
भारत	कुल	कुल	2013	817
भारत	कुल	कुल	2014	805
भारत	कुल	कुल	2015	781
भारत	कुल	कुल	2016	506

तालिका 4. लिंग एवं निवास के देश के आधार पर विदेश में नागरिकों का स्टॉक, भारत, 2012-2018

संदर्भ क्षेत्र	लिंग	गंतव्य का देश	समय	विदेश में नागरिकों का स्टॉक (हजारों में)
भारत	कुल	कुल	2012	21910
भारत	कुल	कुल	2018	13113
भारत	कुल	कुवैट	2018	928
भारत	कुल	कतर	2018	692
भारत	कुल	सऊदी अरब	2018	2812

भारत	कुल	संयुक्त अरब अमीरात	2018	3100
भारत	कुल	संयुक्त राज्य अमेरिका	2018	1280
भारत	कुल	अन्य देश	2018	4301

38 ILO, Statistics on Migrant Workers, Available at https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/

3.3. आईओएम - जीएमडीएसी

आईओएम लापता प्रवासियों एवं प्रवासन प्रशासन सहित विभिन्न डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है, और विभिन्न प्रवासन विषयों पर प्राथमिक एवं माध्यमिक डेटा एकत्र, विश्लेषण और प्रकाशित करता है। आईओएम ग्लोबल माइग्रेशन डेटा एनालिसिस सेंटर (जीएमडीएसी) का माइग्रेशन डेटा पोर्टल [39] UNDESA, UNHCR और विश्व बैंक जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा विस्तृत प्रमुख प्रवासन आँकड़ों को पुन: प्रस्तुत करता है, जो आप्रवासन, उत्प्रवास, जबरन प्रवासन और अन्य विषयों पर एक प्रोफ़ाइल पेश करता है।

श्रेणी	कुल मान	स्रोत
अप्रवासन एवं उत्प्रवास		
मध्य-वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या	4.9 मिलियन	यूएन डीईएसए, 2020
वर्ष 2020 के मध्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक	0.4 %	यूएन डीईएसए, 2020
वर्ष 2020 के मध्य में प्रवासियों की कुल संख्या	17.9 मिलियन	यूएन डीईएसए, 2020
2019 से पहले के 5 वर्षों में शुद्ध प्रवासन (आप्रवासी - प्रवासी)	2.7 मिलियन	यूएन डीईएसए, 2019
2000 और 2020 के बीच कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी में अंतर	0.3	यूएन डीईएसए, 2020
वर्ष 2020 के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक में महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी	53.4 %	यूएन डीईएसए, 2020
वर्ष 2020 के मध्य में देश/क्षेत्र में रहने वाले 19 वर्ष और उससे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की हिस्सेदारी	7.7 %	यूएन डीईएसए, 2020
वर्ष 2020 के मध्य में देश/क्षेत्र में रहने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का हिस्सा	21.6 %	यूएन डीईएसए, 2020
जबरन पलायन		
2021 के अंत में मेजबान देश में शरणार्थियों की कुल संख्या	195,400	यूएनएचसीआर, 2021
मूल देश के अनुसार शरणार्थियों की कुल संख्या, 2021 के अंत में	120,400	यूएनएचसीआर, 2021

2021 में प्राप्त व्यक्तिगत प्रेषण (जीडीपी के % के रूप में)	3.1 %	विश्व बैंक, 2021
2021 में देश से प्रेषण भेजने की औसत लागत (200 यूएसडी के % में)	3%	विश्व बैंक, 2021

39 https://www.migrationdataportal.org/data?cm49=356&amp%3Bfocus=profile&i=stock_abs_&t=2020

3.4. यूएनईएससीएपी

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) भारत से प्रवासन पर चयनित डेटा एकत्र करता है और उसका उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर यूएनईएससीएपी एशिया-प्रशांत प्रवासन रिपोर्ट 2020[40] को लेते हुए, दो उद्धरण प्रदान किए गए हैं।

- चयनित एशिया-प्रशांत देशों से वार्षिक श्रम प्रवास बहिर्प्रवाह - नवीनतम उपलब्ध वर्ष
- चयनित एशिया-प्रशांत देशों से प्रवासी श्रमिकों का वार्षिक बहिर्प्रवाह, 2009 - नवीनतम उपलब्ध वर्ष

दोनों मामलों में, भारत का डेटा विदेशी रोजगार प्रभाग, एमईए से है। हालाँकि, ये मान आंशिक रूप से भारत से प्रवासन परिघटना का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। इसके अलावा, यूएनईएससीएपी यूएनडीईएसए डेटा के आधार पर कुछ प्रवासन मापों को सीधे विस्तृत और प्रकाशित करता है, जैसा कि 1990 और 2019 में एशिया-प्रशांत देशों के शीर्ष 20 प्रवास गलियारों के लिए एशिया-प्रशांत प्रवासन रिपोर्ट 2020 के मामले में दर्शाया गया है।

3.5. विश्व बैंक

विश्व बैंक वार्षिक प्रेषण प्रवाह एवं बहिर्वाह के कुल मूल्यों पर सारांश डेटा संकलित करता है। यह कभी-कभी स्वास्थ्य एवं अन्य पेशेवर क्षेत्रों में कुशल प्रवासियों पर डेटा भी एकत्र करता है।[41] 2020 के लिए भारत में प्रवासी प्रेषण प्रवाह 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी के 3.1 प्रतिशत के बराबर) होने का अनुमान है, जबकि उसी वर्ष भारत से जावक प्रेषण प्रवाह 7 बिलियन अमेरिकी डालर (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) होने का अनुमान है।

ये डेटा यूएनईएससीएपी माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, आईएमएफ भुगतान संतुलन सांख्यिकी डेटाबेस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक कंट्री ऑफिस से जारी आंकड़ों के आधार पर विश्व बैंक कर्मचारियों की गणना के माध्यम से उपलब्ध हैं।

---

40 ESCAP, Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing Implementation of the global impact for migration, Available at https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-migration-report-2020

41 World Bank (2017), Migration and Remittances Data, Available at www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporeissues/brief/migration-remittances-data

भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर वैज्ञानिक साहित्य एवं सांख्यिकीय डेटा का उपयोग

सामान्य तौर पर, साहित्य को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है - प्रकाशन जिसमें जनगणना, घरेलू

यह खंड विगत दो दशकों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य की अंतर्दृष्टि देता है। कई प्रकाशन भारतीय प्रवासियों, उत्प्रवास के आयाम, निर्धारक एवं परिणाम, विदेश जाने वाले लोगों के कौशल और प्रोफाइल, जैसे कम कुशल प्रवासी या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रवासियों की सुरक्षा, पूर्व व वापसी के बाद की प्रवासन स्थिति, पड़ोसी देशों से आप्रवासन और प्रेषण के प्रभाव पर जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर अधिकांश शोधपत्र समाजशास्त्रियों एवं मानवविज्ञानियों द्वारा लिखे जाते हैं, अक्सर "प्रवासी अध्ययन" के तहत, और इसमें मात्रात्मक जानकारी की तुलना में गुणात्मक जानकारी अधिक होती है।

जिन शिक्षाविदों का साक्षात्कार लिया गया उनमें प्रोफेसर बिनोद खदरिया (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में स्थित सामाजिक विज्ञान स्कूल), प्रोफेसर आर.बी. भगत (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई), डॉ. इरुदया राजन (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, तिरुवनंतपुरम), डॉ. शशिकुमार (वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा) और डॉ. चिन्मय तुम्बे (भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर) शामिल हैं। इन पांच लेखकों ने कई प्रकाशन लिखे हैं, अक्सर सह-लेखकों के साथ। वैज्ञानिकों के साथ साक्षात्कार के अलावा, एक साहित्य समीक्षा भी की गई जिसका उद्देश्य शिक्षाविदों के अनुसार सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले डेटा की पहचान करना था।

सर्वेक्षण एवं प्रशासनिक डेटाबेस जैसे स्रोतों से डेटा विश्लेषण होता है, और प्रकाशन जो पहले से ही कहीं और प्रकाशित होते हैं। हालिया साहित्य का चयन इस रिपोर्ट के साथ संलग्न (अनुलग्नक 1 देखें) है। मूल डेटा विश्लेषण पर आधारित साहित्य अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डेटा स्रोतों की उपलब्धता एवं व्यावहारिकता का आकलन करता है। इस साहित्य समीक्षा से पता चला कि भारत में प्रवासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान में केवल सीमित संख्या में डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

डेटा का उपयोग मुख्यतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 2007-2008 से रोजगार, बेरोजगारी एवं प्रवासन[42] का विश्लेषण करने और केरल प्रवासन सर्वेक्षण, 2015[43] के तमिलनाडु सर्वेक्षण,[44] 2001[45] और 2011[46] की जनसंख्या जनगणना, ई-माइग्रेट सिस्टम[47] पर प्रशासनिक डेटा और कुछ तदर्थ सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों के पूरक हेतु किया जाता है, जिनमें अपेक्षाकृत छोटे नमूने हैं।[48] ध्यान दें कि यहां प्रत्येक डेटा स्रोत में जोड़े गए नंबर अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध प्रकाशनों को संदर्भित करते हैं। प्रकाशन मूल भारतीय पर आधारित नहीं हैं डेटा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस पर उपलब्ध डेटा को संदर्भित करते हैं। इसके अलावा, ये शोधपत्र सांख्यिकीय आंकड़ों पर नाममात्र या बिल्कुल भी निर्भर नहीं थे। यह देखा गया कि भारत से उत्प्रवास पर वर्तमान डेटा सीमित है, जिसे साक्षात्कार के दौरान शिक्षाविदों द्वारा भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था।

42 See Annex 1 for specified publications 23, 24, 31, 38,56, 58, 60

43 1, 13, 20, 27, 33, 34, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55

44 40, 45

45 56

46 61

47 57

48 38 ,43, 52, 57, 62

3. भारत में वर्तमान में उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय प्रवास पर सांख्यिकीय डेटा

निम्नलिखित खंड प्रत्येक डेटा स्रोत के अंतर्गत चर, लक्षित जनसंख्या, प्रस्तावित डेटा की सटीकता एवं नीति समर्थन हेतु प्रसार का विवरण देते हैं। इस रिपोर्ट में केरल प्रवास सर्वेक्षण और कुछ राज्यों द्वारा विकसित अन्य उद्देश्य-विशिष्ट सर्वेक्षणों का वर्णन नहीं किया गया है।

सांख्यिकीय डेटा स्रोतों (मुख्यतः जनगणना और नमूना सर्वेक्षण सहित) में, किसी व्यक्ति को प्रवासी माना जाता है यदि उसका जन्मस्थान गणना के स्थान से अलग है। 1971 से, जनगणना ने प्रवासियों पर उनके जन्म स्थान (पीओबी) एवं पिछले निवास स्थान (पीओएलआर) के आधार पर डेटा प्रदान किया है। (लुसोम और भगत, 2020)

प्रशासनिक स्रोत, सामान्य तौर पर, प्रवासियों की स्पष्ट परिभाषा जारी नहीं करते हैं। हालाँकि, उनकी प्रक्रियाएँ व्यक्तियों की तय श्रेणियों से संबंधित हैं जिन पर प्रवासी की सांख्यिकीय परिभाषा सख्ती से लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए, ई-माइग्रेट सिस्टम में पहली बार पंजीकृत प्रवासियों को प्रवासी (प्रवासी प्रवाह के हिस्से के रूप में) माना जा सकता है। इसी प्रकार, भारतीयों को विदेश में उनके कार्य अनुबंध की अवधि (आमतौर पर दो वर्ष) के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिक माना जा सकता है।

राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म[49] और पासपोर्ट सेवा डेटाबेस,[50] से लिंक करता है जहां लिंग के आधार पर पासपोर्ट जारी करने की दैनिक संख्या पर डेटा उपलब्ध है।

5.1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पृष्ठभूमि वाला जनसंख्या स्टॉक

भारत की जनसंख्या, विशेषतः प्रवासियों या प्रवासन से संबंधित, जैसे कि प्रवासी सदस्यों वाले परिवारों के बारे में जानकारी के स्रोत जनगणना एवं नमूना सर्वे के ज़रिए एकत्र किए जाते हैं। डेटा संग्रह के ये तरीके अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर पूरी जानकारी एकत्र करने में सक्षम होने के बावजूद, तेजी से बदलते पैटर्न की निगरानी हेतु इनमें कम समय में और सटीक आंकड़े देने में कुछ गंभीर सीमाएं हैं। जनगणना डेटा संग्रह की जांच से पता चलता है कि प्रवासन से संबंधित अनुशंसित मुख्य विषयों को 2011 की जनगणना में भी पूरी तरह से कवर करने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि तेजी से बदलते प्रवासन पैटर्न की निगरानी हेतु जनगणना की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

इस आकलन के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ढांचे में 2007-2008 में आयोजित केवल एक नमूना सर्वे, रोजगार और बेरोजगारी और प्रवासन विवरण, में प्रवासन पर डेटा का संग्रह शामिल था।[51] दोनों डेटा संग्रह में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को आंतरिक प्रवास की तुलना में कम माना जाता था।

49 https://data.gov.in/

50 https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/ccgm/informationAction

51 National Data Archive, Ministry of Statistics & Programme Implementation, India - Employment, Unemployment and Migration Survey, July2007 - June 2008, NSS 64th Round, Available at http://microdata.gov.in/nada43/index.php/catalog/117/study-description

भारत में किए गए जनगणना और सर्वेक्षण मुख्यतः भारत से आने वाली जनसंख्या (जन्म या राष्ट्रीयता/नागरिकता के आधार पर) पर डेटा एकत्र करने पर केंद्रित हैं। जनगणना में विदेशी नागरिकता वाले निवासियों की गणना की जाती है, लेकिन सर्वे में उन्हें बाहर कर दिया जाता (उदाहरण के लिए, एनएसएस में) है। हालाँकि, भारत में रहने वाले विदेशी मूल के भारतीय निवासियों (जिनके पास भारतीय नागरिकता है) को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में विदेश में अल्पकालिक या लंबी अवधि की अनुपस्थिति के बाद लौटे भारतीय प्रवासियों एवं भारत में सामान्य निवास वाले परिवारों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें वे सदस्य शामिल हैं जो प्रवासित थे और वर्तमान में अल्पावधि या दीर्घकालिक अवधि के लिए विदेश में रह रहे हैं।

निम्नलिखित दो खंड हालिया जनगणनाओं एवं उपर्युक्त सर्वेक्षणों द्वारा प्रवासन डेटा संग्रह का विवरण देते हैं।

5.1.1. स्रोत 1 - जनसंख्या एवं आवास जनगणना

भारत में प्रवासन-संबंधित जनसंख्या स्टॉक पर सांख्यिकीय डेटा किसी जनगणना गणना के दौरान एकत्र किया गया है जो एमएचए के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। घर-घर जाकर गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से जनगणना डेटा एकत्र किया गया, जिसमें विदेशी पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल थे। जनसंख्या की गणना उसके सामान्य निवास स्थान पर की गई। जनगणना द्वारा एकत्रित आकड़ों की सूचियाँ महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय के कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं।[52]

एक जनगणना से दूसरी जनगणना तक, तकनीकें धीरे-धीरे बदल रही हैं, जिसका उद्देश्य एक जनगणना से दूसरी जनगणना में तुलनीयता बनाए रखते हुए डेटा की सटीकता एवं गुणवत्ता में सुधार करना है। जनगणना प्रश्नावली को देश की बदलती जरूरतों के अनुसार बदला गया है। हालाँकि, 1991 की जनगणना के बाद से, प्रवासन विषय को कवर करने वाले चर नहीं बदले गए हैं।

डेटा संग्रहण

जनगणना प्रश्नावली के अनुसार, भारत में रहने वाले उन जनसंख्या पर निम्नलिखित जानकारी एकत्र की जाती है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की पृष्ठभूमि है:

1. प्रवास-संबंधी जनसंख्या का कवरेज: विदेश में जन्मे
2. चर को परिभाषित करना: जन्म का देश
3. सह-चर: जनगणना व्यक्तिगत प्रश्नावली द्वारा एकत्र किए गए सभी चर
4. प्रवास-संबंधी जनसंख्या का कवरेज: वे लोग जिनका गणना से पहले विदेश में अंतिम निवास स्थान था
5. परिभाषित चर: अंतिम सामान्य निवास का स्थान
6. सह-चर: जनगणना व्यक्तिगत प्रश्नावली द्वारा एकत्र किए गए सभी चर

प्रवासन पृष्ठभूमि वाली आबादी को अलग करने के लिए नागरिकों को कभी भी जनगणना प्रश्नावली में शामिल नहीं किया गया है।

2011 की जनगणना में शामिल विषय (प्रवासन संबंधी विषयों को रेखांकित किया गया है)

जन्म की तारीख
आयु
लिंग
जन्म स्थान (राज्य/देश; शहरी/ग्रामीण)
पिछला निवास (राज्य/देश; शहरी/ग्रामीण)
पिछले निवास स्थान से पलायन का कारण
गणना के गांव या शहर में निवास की अवधि
वैवाहिक स्थिति
विवाह के समय आयु
घरेलू संरचना (मुखिया से संबंध)
उच्चतम शैक्षिक स्तर प्राप्त किया
विद्यालय जाने वाले
आर्थिक गतिविधि
व्यवसाय/कार्य का विवरण
उद्योग की शाखा
भाषाएँ (मातृभाषा एवं अन्य भाषा)
धर्म
प्रजनन क्षमता सूचक
विकलांगता

प्रकाशित डेटा

सेंसस इंडिया वेबसाइट[53] पर सारणीकरण कार्यक्रम की सभी तालिकाओं का विवरण दिया गया है। इसपर आधारित कुछ प्रमुख टिप्पणियों में शामिल हैं:

1 वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, पिछली तीन जनगणनाओं के आंकड़े आधिकारिक वेबसाइट[54] पर प्रकाशित किए गए हैं। फिर भी, हालांकि, 1991 और 2001 के लिए तालिकाएँ प्रकाशित की गई हैं, 2011 के लिए अधिकांश तालिकाओं को अभी भी प्रकाशित किया जाना बाकी है। हालाँकि, एक अन्य वेबसाइट[55] है जहाँ सभी सूचीबद्ध तालिकाएँ दी गई हैं।

2 प्रवासन तालिकाओं की सूची तीनों जनगणनाओं के लिए समान है। वेबसाइट[56] पर दिए गए 2011 के सारणीकरण कार्यक्रम के अनुसार 13 तालिकाएँ हैं। हालाँकि, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के लिए सभी सूचीबद्ध तालिकाएँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ तालिकाओं में स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि तालिका के शीर्षक (घ-11) या तालिकाओं के अंतर्गत टिप्पणी (घ12 और घ13) में दिखाया गया है।

3 वर्तमान में केवल चार तालिकाएँ - घ1, घ1-परिशिष्ट, घ2 और घ3 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को अलग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को अन्य तालिकाओं (उम्र एवं निवास की अवधि के अनुसार घ-5) के तहत शामिल किया गया है, जहां अंतिम निवास का प्रकार (शहरी/ग्रामीण) दिया गया है, लेकिन गंतव्य स्थानों के बीच अंतर करने की संभावना के बिना केवल कुल अनुमान के रूप में। तालिका घ-8 और घ-9 में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के बाहर निवास के अंतिम स्थान का डेटा दिखाया गया है। हालाँकि, इस दस्तावेज़ को संकलित करते समय डेटा प्रकाशित नहीं किया गया था।

4 तालिका घ1 और घ1-परिशिष्ट जन्म के देश एवं लिंग के आधार पर डेटा प्रकाशित करते हैं: तालिका घ1 भारत के बाहर पैदा हुए महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्या, महाद्वीपों की कुल संख्या और चयनित देशों की संख्या दर्शाती है; तालिका डी1-परिशिष्ट 5 वर्ष की आयु के समूह से '60+' तक भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्तियों की कुल संख्या को दर्शाता है।

5 तालिका घ2 और घ3 उन व्यक्तियों का डेटा प्रस्तुत करते हैं जो अन्यत्र से गणना स्थल पर चले गए, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका अंतिम निवास भारत के बाहर था, लिंग के आधार पर अलग-अलग। तालिका डी2 निवास की अवधि संबंधी डेटा प्रस्तुत करती है। यह महाद्वीपों और चयनित देशों द्वारा प्रवासित व्यक्तियों, विदेश से आए महिलाओं एवं पुरुषों की कुल संख्या के बीच अंतर करती है। इसके विपरीत, तालिका घ3 प्रवास की अवधि और गणना के स्थान पर प्रवास के कारण के आधार पर डेटा प्रस्तुत करती है। हालाँकि, केवल उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो अंतिम बार भारत से बाहर रहे थे, भारत के अलावा एशिया के देशों की कुल संख्या और अन्य देशों की कुल संख्या।

संशोधन और सुधार की योजना

पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, और अगली जनगणना 2021 में होने की योजना थी। कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया है। 2021 की जनगणना के लिए इस दस्तावेज़ को बनाते समय, वेबसाइट पर एक प्रश्नावली, 'हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस शेड्यूल' प्रकाशित की गई थी।[57] इस फॉर्म पर, आवास इकाइयों/आवासों की सूची जनगणना प्रश्नावली के 'हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक' नामक भाग में प्रस्तुत की जाएगी। इस फॉर्म की प्रत्येक पंक्ति एक घर को संदर्भित करती है, जिसमें प्रत्येक घर के मुखिया और घर की विशेषताओं की जानकारी दी गई होती है। घर के मुखिया की सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर कोई प्रश्नावली नहीं थी और न ही अन्य व्यक्तियों (घर के सदस्यों) की गणना के लिए। तदनुसार, यह चिन्हित नहीं जा सकता है कि पिछली जनगणना की तुलना में 2021 की जनगणना में प्रवासन संबंधी मुद्दों पर डेटा संग्रह में कोई बदलाव होगा या नहीं।

53 https://censusindia.gov.in/Meta-Data/metadata.htm#/tab4

54 https://censusindia.gov.in/digitallibrary/Tables.aspx

55 https://censusindia.gov.in/2011census/migration.html

56 https://censusindia.gov.in/Meta-Data/metadata.htm#/tab4

57 https://censusindia.gov.in/2021-Schedules/HL/English_HL_2021.pdf

5.1.2. स्रोत 2 - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

एमओएसपीआई के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने जुलाई 2007 से जून 2008 तक घरों पर 64वां सर्वेक्षण किया जिसका उद्देश्य रोजगार एवं बेरोजगारी और प्रवासन का विवरण एकत्र करना था। एमओएसपीआई (23 जुलाई 2021 को साक्षात्कार) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विदेशी नागरिकों को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण फ्रेम में शामिल नहीं किया गया था।

विदेशी[58] **-** ऐसे लोग जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, जो सामान्य आधार पर लंबी या कम अवधि के लिए भारत में रह रहे हैं, जिसमें निवासी परमिट धारक, वर्क परमिट धारक, विदेशी छात्र, शरणार्थी और विदेश से आए अन्य संरक्षित व्यक्ति, अनियमित या अनिर्दिष्ट प्रवासी, राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और पर्यटक शामिल हैं।

सर्वेक्षण में 125,578 घरों और 572,254 व्यक्तियों को शामिल किया गया। प्रवासियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया:

- जिन प्रवासियों ने बताया था कि गणना का वर्तमान स्थान किसी भी समय उनका सामान्य निवास स्थान था, उन्हें वापस लौटे प्रवासी माना गया।
- ऐसे व्यक्ति जो रोजगार के लिए या रोजगार की तलाश में पिछले 365 दिनों के दौरान 1 महीने या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम समय के लिए गांव/शहर से दूर रहे हों, उन्हें अल्पकालिक प्रवासी कहा जाता है।
- घर का कोई भी पूर्व सदस्य, जो पहले किसी भी समय घर छोड़कर गांव/कस्बे से बाहर रहता था, उसे बाहरी प्रवासी माना जाता था, बशर्ते कि वह सर्वेक्षण की तारीख पर जीवित हो।

डेटा संग्रहण

सर्वेक्षण प्रश्नावली निम्नलिखित आबादी एवं चर पर डेटा एकत्र करने हेतु तैयार की गई है:

1. प्रवासन से संबंधित जनसंख्या का कवरेज: विस्थापित परिवार एवं उनके सदस्य
2. परिभाषित चर: परिवार का अंतिम निवास स्थान
3. सह-चर: सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत एवं घरेलू विशेषताएं
4. प्रवासन से संबंधित आबादी का कवरेज: परिवार के सदस्य जो अन्यत्र रहने के बाद वापस लौट आए
5. परिभाषित चर: घर के किसी सदस्य का अंतिम निवास स्थान
6. सह-चर: सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत एवं घरेलू विशेषताएं
7. प्रवासन-संबंधित जनसंख्या का कवरेज: ऐसे परिवार जिनके सदस्य बाहर प्रवासित हैं
8. चर को परिभाषित करना: घर के पूर्व सदस्य की निवासी स्थिति (विदेश में रहना)
9. सह-चर: सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत और घरेलू विशेषताएं।

निम्नलिखित डेटा/चर एकत्र किए गए[59]:

- पिछले 365 दिनों के दौरान गणना स्थल पर प्रवास करने वाले परिवारों के लिए पिछले निवास का स्थान, प्रवासन के पैटर्न एवं प्रवासन के कारण।
- वर्तमान निवास स्थान, बाहर प्रवास का कारण, घर छोड़ने के बाद से समय, क्या वर्तमान में किसी भी आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, क्या पिछले 365 दिनों के दौरान प्रेषण भेजे गए थे, कितनी बार और कितने प्रेषण भेजे गए थे, कितने प्रवासी जो पूर्व में किसी भी समय घर से दूसरे गांव/शहर में चले गए हों।

58 THE FOREIGNERS ACT, 1946 (Modified as on 3rd December, 2018 https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2259/3/A1946-31.pdf

59 IHSN, National Sample Survey 2007-2008 (64th round) - Schedule 10.2 - Employment, Unemployment and Migration Particulars India, 2007 -2008, Available at https://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/1907

- पिछले 365 दिनों के दौरान परिवारों द्वारा अतीत में किसी भी समय बाहर चले गए सदस्यों से प्राप्त प्रेषण का उपयोग।
- प्रवासित घर के सदस्यों के लिए:

  घ.1 दीर्घकालिक प्रवासी (पिछला सामान्य निवास स्थान अन्यत्र)
  - आवागमन की प्रकृति
  - निवास के सामान्य अंतिम स्थान से आगमन के बाद की अवधि
  - निवास के सामान्य अंतिम स्थान का विवरण
  - निवास के सामान्य अंतिम स्थान पर सामान्य गतिविधि की स्थिति,
  - निवास के सामान्य अंतिम स्थान को छोड़ने का कारण

  घ.2. अल्पावधि प्रवासी (रोजगार के कारणों से या 1 से 6 महीने की अवधि के लिए रोजगार की तलाश में दूर रहना)
  - 15 दिन या उससे अधिक की अवधि की संख्या
  - सबसे लंबी अवधि का गंतव्य
  - कार्य का उद्योग और कार्य की सबसे लंबी अवधि।

  घ.3. वापसी प्रवास के बारे में जानकारी (यदि पहले कभी सर्वेक्षण गणना के स्थान पर कोई सामान्य निवास स्थान रहा हो)

सर्वेक्षण प्रश्नावली में ब्लॉकों के अनुसार प्रवासन प्रश्न निम्नलिखित थे[60]:

ब्लॉक [3] घरेलू विशेषताएं

प्रश्न 8. क्या परिवार पिछले 365 दिनों के दौरान गणना के गांव/शहर में स्थानांतरित हुआ (हां-1, नहीं-2)। यदि 'हां', निवास का पिछला स्थान (प्र. 9), प्रवास का पैटर्न - अस्थायी या स्थायी (प्र.10), प्रवास का कारण - 15 अलग-अलग कारण पूर्वनिर्धारित हैं (प्र.11) किसी अन्य देश में पिछले निवास की सूचना दी जा सकती है लेकिन गंतव्य देश के बारे में कोई विवरण एकत्र नहीं किया जाता है।

प्रश्न 12. क्या घर का कोई पूर्व सदस्य पहले किसी भी समय बाहर चला गया है (हाँ - 1, नहीं - 2)। यदि 'हाँ' है, तो बाहर चले गए सदस्यों की संख्या: पुरुष (प्र13), महिला (प्र14)

प्रश्न 15. पिछले 365 दिनों के दौरान प्राप्त प्रेषण की राशि। यदि >0, प्रेषण का उपयोग - 11 विभिन्न पूर्वनिर्धारित उद्देश्य (प्र16)

ब्लॉक [3.1] उन प्रवासियों का विवरण जो पूर्व में किसी भी समय बाहर चले गए।

लिंग और वर्तमान आयु (वर्ष)

वर्तमान निवास स्थान

प्रवासन के कारण

घर छोड़ने के बाद की अवधि (वर्ष)

क्या वर्तमान में किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हैं

क्या पिछले 365 दिनों के दौरान प्रेषण भेजे गए थे, यदि 'हाँ', पिछले 365 दिनों के दौरान कितनी बार प्रेषण भेजे गए थे और पिछले 365 दिनों के दौरान भेजे गए प्रेषण की राशि।

60 http://www.icssrdataservice.in/datarepository/index.php/catalog/33/ related_materials, NSS64-Schedule-10dot2.pdf

ब्लॉक [4] घर के सदस्यों की जनसांख्यिकीय और सामान्य गतिविधि का विवरण

घर के मुखिया से संबंध

लिंग

आयु

वैवाहिक स्थिति

शिक्षा का स्तर

गतिविधि की स्थिति, उद्योग और व्यवसाय

ब्लॉक [6] परिवार के सदस्यों का प्रवास विवरण (ब्लॉक 4 के अलावा)

चाहे वे रोजगार के लिए या रोजगार की तलाश में पिछले 365 दिनों के दौरान 1 महीने या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम समय हेतु गांव/शहर से दूर रहे हों। यदि 'हाँ' है तो अवधि की संख्या, सबसे लंबे समय के दौरान गंतव्य, यदि सबसे लंबे समय के दौरान काम किया गया तो उद्योग।

क्या गणना का स्थान निवास के पिछले स्थान से भिन्न है। यदि 'हाँ' तो क्या गणना का स्थान पूर्व में किसी भी समय सामान्य निवास स्थान था, आवागमन की प्रकृति, निवास के अंतिम सामान्य स्थान को छोड़ने के बाद की अवधि (वर्ष), अंतिम सामान्य निवास स्थान का विवरण (नाम सहित) चयनित देश या क्षेत्रीय क्षेत्र, यदि विदेश में हैं), निवास के अंतिम सामान्य स्थान को छोड़ते समय सामान्य गतिविधि और उद्योग, निवास के पिछले सामान्य स्थान को छोड़ने का कारण।

प्रकाशित डेटा

सर्वेक्षण के परिणाम वेबसाइट पर एनएसएस रिपोर्ट संख्या 533 'भारत में प्रवासन 2007-2008' एनएसएस 64वां दौर (जुलाई 2007 - जून 2008) में प्रकाशित किए गए हैं।[61] सत्ताईस तालिकाएँ प्रति 1000 निर्दिष्ट जनसंख्या समूहों पर अनुमानित विस्तृत डेटा प्रस्तुत करती हैं। किसी अन्य देश में अंतिम सामान्य निवास के माध्यम से परिभाषित दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर डेटा घरेलू सामाजिक समूह, लिंग और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा 22वीं तालिका में प्रस्तुत किया गया है। अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर डेटा, जिन्हें ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो रोजगार के लिए या रोजगार की तलाश में 30 दिनों या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम समय के लिए गांव/कस्बे से दूर रहे, 19वीं तालिका में लिंग, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों और सामान्य गतिविधि स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे देशों में रहने वाले परिवारों के बाहरी प्रवासियों का डेटा विदेश में रहने की अवधि के अनुसार 14वीं तालिका में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों एवं भेजे गए प्रेषण के डेटा भी शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले प्रवासियों से प्राप्त धन के आंकड़े भी 13वीं तालिका (प्रवासी) एवं 7वीं तालिका (प्रवासी परिवार) में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक आयु वर्ग में बाहरी प्रवासियों की संख्या और विदेश में रहने वाले उनके अनुपात को तालिका संख्या 10 में दिया गया है। तालिका संख्या 6 में प्रवासन के प्रकार (अस्थायी या स्थायी) के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाहरी प्रवासियों का वितरण दिया गया है।

5.2 विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों का स्टॉक (प्रवासी)

भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर आंकड़ों के प्राथमिक यूजर्स और विशेष रूप से भारतीय सरकारी एजेंसियों के बीच, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारत से आने वाले अन्य देशों के नागरिकों, भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित डेटा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। इन समूहों में हाल ही में अल्पावधि या दीर्घकालिक अवधि के लिए प्रवासित भारतीय नागरिक (रोजगार, अध्ययन, परिवार के लिए प्रवासित) और विदेश में जन्मे भारतीय शामिल हैं। इस डेटा के स्रोत मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में, कवरेज एपिसोडिक है। विभिन्न पंजीकरण गतिविधियों के ज़रिए विदेश मंत्रालय द्वारा डेटा एकत्र किया जाता है, जिसमें विदेश में भारतीय मिशन (दूतावास, वाणिज्य दूतावास) और प्रवासियों के पंजीकरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय प्रभाग शामिल हैं (उदाहरण के लिए, ई-माइग्रेट प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से)।

हालाँकि, प्रवासी भारतीयों पर डेटा संग्रह विभिन्न कारणों से अधूरा है, जैसे प्रवासी प्रवाह एवं स्टॉक डेटाबेस का सीमित सामंजस्य।[62] दूसरी ओर, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एनआरआई और ओसीआई की कुल संख्या पर डेटा प्रकाशित है।[63, 64 65]

61 http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/533_final.pdf

62 Garha, N. S., & Domingo, A. (2019). Indian diaspora population and space: national register, UN Global Migration Database and Big Data.Diaspora Studies, 12(2), 134-159.

5.2.1. स्रोत 1: ईसीआर देशों में भारतीय प्रवासियों के पंजीकरण के लिए ई-माइग्रेट सिस्टम

ई-माइग्रेट प्रणाली की शुरुआत मुख्यतः खाड़ी क्षेत्र के चयनित देशों में रोजगार हेतु कम कुशल प्रवासियों को पंजीकृत करने के लिए की गई थी। 2016 से इसमें उन नर्सों के डेटा को शामिल किया गया है जो इन देशों में रोजगार के लिए गए थे। यह ध्यान में रखते हुए कि पंजीकृत प्रवासियों के रिकॉर्ड डेटाबेस में बनाए रखे जाते हैं, इन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्तमान में विदेश में रहने के स्टॉक की पहचान की जा सकती है। इस प्रणाली का विवरण अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रवाह पर डेटा संग्रह के अगले भाग में वर्णित किया जाएगा। डेटा संग्रह का वर्णन अध्याय 5.3 में किया गया है। ई-माइग्रेट प्रणाली से प्रवासी स्टॉक पर कोई प्रकाशित डेटा उपलब्ध नहीं है।

5.2.2. स्रोत 2: वाणिज्य दूतावासों द्वारा एनआरआई और ओसीआई का पंजीकरण

विदेश मंत्रालय में सीवीपी डिवीजन द्वारा प्रबंधित ओसीआई (भारतीय मूल के लोगों के लिए उपलब्ध स्थायी निवास का एक रूप जो उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है) का एक केंद्रीय डेटाबेस मौजूद है। एनआरआई, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक, दुनिया भर में भारतीय मिशनों द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। एनआरआई और ओसीआई पर कोई प्रकाशित डेटा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

डेटा संग्रह (चर)

ओसीआई के लिए पंजीकरण फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

1. जमा करने का स्थान (देश)
2. आवेदक की जानकारी:
    - नाम
    - लिंग
    - जन्म की तारीख
    - जन्म का देश
    - जन्म स्थान
    - वर्तमान राष्ट्रीयता (नागरिकता का देश)
    - राष्ट्रीय पहचान संख्या
    - दिखाई देने वाले निशान
3. आवेदक का पासपोर्ट विवरण
4. आवेदक का पारिवारिक विवरण (माता-पिता की राष्ट्रीयता और भारतीय मूल से संबंध सहित)

5.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रवाह

जांच-पड़ताल से पता चलता है कि केवल एक डेटा संग्रह गतिविधि के ज़रिए ही पूरे संघीय राज्य में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर विस्तृत डेटा एकत्र और आंकड़े तैयार किया जाता है। यह एक प्रशासनिक पंजीकरण प्रणाली ई-माइग्रेट है, जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जाता है।

आम तौर पर, सीमा पार करने वाले व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों की जांच सीमाओं पर की जाती है। हालाँकि, इन चौकियों के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त डेटा संग्रह नहीं होता है। पड़ोसी देशों के लिए सीमा पार करने हेतु विशिष्ट द्विपक्षीय समझौते (जैसे कि 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि) भी हैं।[66] व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों की सीमाओं और हवाई अड्डों पर जांच की जाती है, जहां ऐसे दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक होता है। इसके अलावा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में कम कुशल श्रमिकों के प्रवासन हेतु भारत सरकार के सक्रिय उपायों को ध्यान में रखते हुए, जरूरत पड़ने पर इन व्यक्तियों के दस्तावेजों की भारतीय राज्य अधिकारियों के साथ सावधानीपूर्वक जांच की जाती है।

परामर्शों से यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी स्रोत में कुल उत्प्रवास और कुल आप्रवासन (विदेशियों के आगमन और नागरिकों की वापसी सहित) को पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता है और इन प्रवासन प्रवाहों

पर जानकारी एकत्र करने हेतु विशेष रूप से अपेक्षित नहीं है। फिर भी, कुछ आंशिक डेटा उपलब्ध हैं।

63 Ministry of External Affairs, Government of India, Population of Overseas Indians: Countrywise, Available at https://mea.gov.in/images/ pdf/3-population-overseas- Indian.pdf

64 Ministry of External Affairs, Government of India, Population of Overseas Indians, Available at http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf

65 Ministry of External Affairs, Government of India, Performance of Candidates in Screen Test Conducted by NBE, Available at https://mea.gov.in/Images/amb1/FMGE_performance_report_NEW1.pdf

66 Ministry of External Affairs, Government of India, Treary of Peace & Friendship, Available at https://mea.gov.in/biparty-documents1 htm?dtl/6295/ Treaty+of+Peace+and+Friendship

5.3.1 भारतीय नागरिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और वापसी प्रवास

भारतीय नागरिकों का प्रवासन प्रवासन के आँकड़ों में सबसे अधिक परिलक्षित होता है। ये डेटा प्रशासनिक एवं शुद्ध रूप से सांख्यिकीय डेटा दोनों के रूप में एकत्र किए जाते हैं। फिर भी, कोई भी स्रोत इसे पूरी तरह से कवर नहीं करता है। नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के प्रस्थान पर डेटा सीमा नियंत्रण डेटाबेस से प्राप्त किया जा सकता है।

5.3.1क. स्रोत 1: ईसीआर देशों में भारतीय प्रवासियों के पंजीकरण के लिए ई-माइग्रेट प्रणाली

जैसा कि बताया गया है, ई-माइग्रेट प्रणाली की शुरुआत 18 इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड (ईसीआर) देशों में रोजगार हेतु कम कुशल प्रवासियों को पंजीकृत करके की गई थी। 2016 से इसमें उन नर्सों के डेटा को भी शामिल किया गया है जो इन देशों में रोजगार के लिए गए थे। देखभाल सेवाओं में कार्यरत अधिकांश प्रवासी महिलाएँ हैं। इस पंजीकरण का उद्देश्य कमजोर प्रवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है ताकि उन्हें उनके गंतव्य देशों में नियोक्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार के मामले में जानकारी एवं सहायता प्रदान की जा सके। ई-माइग्रेट प्रणाली ईसीआर श्रेणी के प्रवासी श्रमिकों के "संपूर्ण प्रवासन जीवन चक्र" से संबंधित सभी प्रमुख डेटा बिंदुओं को कैप्चर करती है। जब कोई ईसीआर प्रवासी कामगार सिस्टम में विदेशी रोजगार हेतु आवेदन करता है तो ई-माइग्रेट उसका डेटा एकत्र करता है। ई-माइग्रेट पोर्टल को हाल ही में गैर-ईसीआर देशों के लिए भी पंजीकरण हेतु खोला गया है।

कम कुशल ब्लू-कॉलर प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तदनुसार, इस प्रणाली के अंतर्गत केवल वो विशिष्ट प्रवासियों का कुछ हिस्सा ही आता है जिनके पासपोर्ट पर "इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड" (ईसीआर) की मुहर लगी होती है। वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, 2015 में पंजीकरण पर पहले आंकड़े प्रकाशित होने के बाद से उनकी संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है।

भारतीय ईसीएनआर पासपोर्ट धारक (इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड) भी (स्वेच्छा से) ई-माइग्रेट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हालाँकि, यदि विशिष्ट प्रवास कॉरिडोर और प्रवाह को मजबूत करने के लिए आपसी द्विपक्षीय (सरकार-से-सरकार) समझौते में कहा गया है तो उनका पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रवासी को प्रवास मंजूरी (ईसी) जारी होने के बाद, भारत से प्रवास के बाद उसकी स्थिति को पासपोर्ट नंबर द्वारा ई-माइग्रेट पर ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के यूजर्स, जैसे नियोक्ता, परियोजना निर्यातक, भर्ती एजेंट, बीमा एजेंसियां और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के पास ई-माइग्रेट डेटाबेस के व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक एक्सेस होता है। हालाँकि, पंजीकरण की लागत और अन्य प्रतिबंध, उदाहरण के लिए, महिलाओं के मामले में उम्र, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रवासी पंजीकरण से बचते हैं।

शोधकर्ताओं ने विशेषकर महिला प्रवासियों के बहिर्प्रवाह पर डेटा एवं आधिकारिक आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता पर अफसोस जताया है। उदाहरण के लिए, कोडोथ (2020) कहते हैं, "प्रवासी श्रमिकों की आधिकारिक गणना काफी त्रुटिपूर्ण है और इससे महिलाओं की सांख्यिकीय अस्पष्टता हो गई है।" सामान्य तौर पर, आधिकारिक आँकड़ों में कम कुशल श्रमिकों के प्रवाह को कम आंका जाता हैं क्योंकि उनमें अनियमित आवागमन शामिल नहीं है, जिसे काफी माना जाता है। इसके अलावा, लिंग-विभेदित आधिकारिक आँकड़े केवल पिछले दशक से ही उपलब्ध हैं। स्थानिक क्लस्टरिंग के कारण, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण भी महिला घरेलू कामगारों के प्रवासन को कम आंकते हैं।

डेटा संग्रहण

प्रवासियों पर डेटा संग्रह राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल के माध्यम से होता है।[67] पंजीकरण के लिए फॉर्म सीधे ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से पाया जा सकता है।[68] ईसीआर प्रवासियों और जिन्हें ईसी की आवश्यकता नहीं है उनका पंजीकरण अलग-अलग लिंक के माध्यम से किया जाता है।

'प्रवासी पंजीकरण फॉर्म' भारत से बाहर प्रवास करने वाले व्यक्तियों और हाल ही में, भारत से बाहर प्रवास करने वाली नर्सों द्वारा भरा जाता है। यह पंजीकरण प्रवास की मंजूरी जारी करने का आधार है। इनसे

निम्नलिखित डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है:

1. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवरण
2. पासपोर्ट विवरण
3. पते का विवरण,
4. वीज़ा विवरण
5. व्यक्तिगत विवरण

66 National Government Services Portal, Government of India, Available at https://services.india.gov.in/service/detail/employer-registered-on-emigrate-system l

68 https://emigrate.gov.in/ext/

6. यात्रा विवरण
7. सम्पर्क विवरण
8. बीमा विवरण
9. रोजगार का विवरण

प्रकाशित डेटा

ई-माइग्रेट से प्राप्त आँकड़े में प्रवास मंजूरी (ईसी) शामिल है, लेकिन प्रवासी नहीं। इन्हें ई-माइग्रेट प्लेटफ़ॉर्म वेबसाइट पर रिसोर्स/इमिग्रेशन क्लीयरेंस संबंधित रिपोर्ट सेक्शन में प्रकाशित किया गया है। डेटा वर्ष 2007-2021 के लिए उपलब्ध हैं। कुछ तालिकाओं में मासिक डेटा होता है। कुल मिलाकर, नौ तालिकाएँ प्रकाशित की गई हैं जिनमें निम्नलिखित चर द्वारा डेटा का सारणीकरण शामिल है, जिनमें से सात पीओई, राज्यों और जारी होने के महीनों के अनुसार ईसी की कुल संख्या पर डेटा प्रस्तुत करते हैं:

1. आरए, पीई द्वारा और एफई द्वारा सीधी भर्ती के तहत प्राप्त पीओई-वार, माह-वार प्रवास मंजूरी (ईसी)
2. आरए द्वारा प्राप्त राज्य-वार, पीओई-वार प्रवास मंजूरी (ईसी)
3. एफई द्वारा सीधी भर्ती के तहत प्रवासियों द्वारा प्राप्त राज्य-वार, पीओई-वार प्रवास मंजूरी (ईसी)
4. आरए द्वारा प्राप्त माह-वार, पीओई-वार प्रवास मंजूरी (ईसी)
5. एफई द्वारा सीधी भर्ती के तहत प्रवासियों द्वारा प्राप्त माह-वार, पीओई-वार प्रवास मंजूरी (ईसी)
6. आरए द्वारा प्राप्त राज्य-वार, देश-वार प्रवास मंजूरी (ईसी) और एफई द्वारा सीधी भर्ती
7. ईसीआर देशों में प्रवासियों को भेजने वाले शीर्ष 100 जिले
8. जिलेवार - महिला प्रवासी जिन्हें ईसीआर देशवार ईसी दिया गया
9. जिलेवार - ईसीआर देशवार ईसी नर्सों को दिया गया

पहली सात तालिकाओं में डेटा को लिंग के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है, जिसमें ईसी की कुल संख्या दी गई है। यह जानना असंभव है कि पंजीकरण प्रणाली में सभी महिला प्रवासी इन तालिकाओं में शामिल हैं या नहीं। महिला प्रवासियों और नर्सों को जारी ईसी की संख्या सहित दो तालिकाएँ अलग से प्रकाशित की गई हैं। हालाँकि, तालिका में महिला प्रवासियों (नर्सों को छोड़कर) पर प्रस्तुत डेटा नर्सों पर तालिका में प्रस्तुत संख्या (2020 में 7915) की तुलना में कम (2020 में 608) है।

5.3.1ख. स्रोत 2: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

प्रवासन बहिर्प्रवाह पर कुछ डेटा रोजगार एवं बेरोजगारी, और प्रवासन विवरण पर 2007/2008 सर्वे से प्राप्त किया जा सकता है। सीधे तौर पर, विदेश में रोजगार हेतु देश छोड़ने वाले परिवार के सदस्यों का डेटा विदेश में रहने की अवधि या विदेश से लौटने के बाद सर्वेक्षण गणना के स्थान पर विचार करके प्रवासियों की संख्या को संदर्भित करता है। इस सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए चर खंड 5.1 में वर्णित हैं। डेटा संग्रह और प्रकाशन डेटा का विवरण खंड 5.1 में दिया गया है।

5.3.1ग. स्रोत 3: सीमा पार डेटाबेस

प्रवासन ब्यूरो (बीओआई) भारतीय सीमा बंदरगाहों पर देश छोड़ने वाले लोगों का डेटा एकत्र करता है। पासपोर्ट डेटा को सीमा पार करते समय दर्ज किया जाता है। सीमा पार डेटाबेस पर कोई प्रकाशित डेटा उपलब्ध नहीं है।

5.3.1घ. स्रोत 4: पासपोर्ट सेवा प्रणाली

भारत में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) या विदेश में रहने पर दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों में पासपोर्ट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह एक केंद्रीकृत प्रणाली है, और लोग भारत में किसी भी जगह से आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा पोर्टल को एक्सेस करने के लिए पासपोर्ट सेवा की समर्पित वेबसाइट के अलावा, पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने हेतु भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, विदेश मंत्रालय का भी उपयोग किया जा सकता है।[69] साधारण पासपोर्ट पर आवेदन के लिए, एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी है:

1. आवेदन का स्थान (विदेश में रहने पर दूतावास या वाणिज्य दूतावास

69 Ministry of External Affairs, Government of India, Passport Seva, Available at https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink

2. नाम
3. जन्म की तारीख
4. संपर्क विवरण (ईमेल और लॉगिन)

5.3.2 भारतीय नागरिकों का आप्रवासन (ज्यादातर वापसी प्रवास के रूप में)

वापस आये भारतीय नागरिकों के डेटा का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2007/2008 है। भारत की जनगणना (2011) सीधे तौर पर वापसी प्रवासन (धार और भगत, 2021) के बारे में जानकारी नहीं देती है।

5.3.2क. स्रोत 1: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

रोजगार हेतु विदेश में रहने के बाद वापस आए सदस्यों के डेटा को विदेश से लौटने के बाद सर्वेक्षण गणना के स्थान पर उनके रहने की अवधि पर विचार करके (वापसी) आप्रवासियों की संख्या के रूप में गिना जा सकता है। यदि ऐसे घर के सदस्य के पास विदेश में निवास का सामान्य स्थान है, तो उसे उस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय (वापसी) प्रवासी गिना जा सकता है जब वह आया था। डेटा संग्रह का विवरण खंड 5.1 में किया गया है। घर लौटे सदस्यों का डेटा प्रकाशित किया जाता है।

5.3.2ख. स्रोत 2: ई-माइग्रेट सिस्टम

ई-माइग्रेट सिस्टम में विशेष रूप से रिटर्न माइग्रेशन पर डेटा एकत्र नहीं होता है। इंटरव्यू में व्यक्त की गई सामान्य राय के अनुसार, कई प्रवासी अपने रोजगार वीजा पर अधिक समय तक नहीं रुकते हैं, क्योंकि अधिक समय तक रुकने पर जुर्माना बहुत अधिक है। इसलिए, प्रवासी श्रमिकों को या तो वापस लौटने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और/या उनके विदेशी नियोक्ताओं को उनके वीजा को रिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्य अनुबंध की समाप्ति और ई-माइग्रेट प्रणाली में पंजीकृत वीज़ा को ध्यान में रखते हुए, लौटने वाले प्रवासियों की पहचान करना और आंकड़े प्रस्तुत करना आसान हो सकता है। डेटा संग्रह का विवरण खंड 5.3 में दिया गया है। ई-माइग्रेट प्रणाली से लौटने वाले प्रवासियों पर कोई डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है।

5.3.2ग. स्रोत 3: सीमा पार डेटाबेस

प्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के पास व्यक्तिगत पासपोर्ट नंबरों के अनुसार देश से बाहर जाने एवं आने वाले लोगों का डेटा है। हालाँकि, बॉर्डर डेटा को ई-माइग्रेट रिकॉर्ड के साथ जोड़ने की कोई सुविधा नहीं है जिससे विदेश में रहने के बाद लौटने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान करना आसान को सके। डेटा संग्रह का विवरण खंड 5.3.1 में दिया गया है। सीमा पार करने पर कोई डेटा प्रकाशित नहीं किया गया है।

5.3.2घ. स्रोत 4: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 2020 ने विदेश से वापस लौटने वाले भारतीय प्रवासियों को पंजीकृत करने हेतु कोविड-19 महामारी के दौरान स्वैच्छिक "स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट (SWADES)" लॉन्च किया। हालाँकि, व्यापक विश्लेषण हेतु पर्याप्त जानकारी तैयार करने के लिए यह डेटाबेस अभी भी बहुत नया है।[70]

70 https://govinfo.me/swades-scheme-skilled-workers-arrival-database-for-employment-support/

अनुलग्नक 1: भारत में प्रवासन संबंधी मुद्दों पर प्रकाशनों की सूची

निम्नलिखित खंड में विगत बीस वर्षों के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों द्वारा तैयार किए गए वैज्ञानिक शोध-पत्रों और रिपोर्टों को सूचीबद्ध किया गया है। शोध-पत्र और रिपोर्ट 2002 से शुरू होने वाले प्रकाशन के वर्ष के अनुसार सूचीबद्ध हैं।

क्र.सं.	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	प्रकाशक और पृ. सं
1.	जकारिया, के.सी., मैथ्यू, ईटी एवं राजन, एसआई	2003	प्रवासन की गतिशीलता : आयाम, भिन्नताएं एवं परिणाम	इंडिया: ओरिएंट लॉन्गमैन, 476 पृ.
2.	पारेख, बी., सिंह, जी. और वर्टोवेक, एस.	2003	भारतीय प्रवासी में संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था	रूटलेज, 240 पृ.
3.	श्रीवास्तव, रवि, और एसके शशिकुमार	2003	भारत में प्रवासन का अवलोकन, इसके प्रभाव और प्रमुख मुद्दे, एशिया में प्रवासन विकास और गरीब समर्थक नीति विकल्प	
4.	जज, पी.एस., शर्मा, एसएल, शर्मा, एसके और बाल, जी।	2003	विकास, लिंग और प्रवासी: वैश्वीकरण का संदर्भ	रावत प्रकाशन, 302 पृ.
5.	समद्दर, आर.	2003	शरणार्थी एवं राज्य: भारत में शरण और देखभाल की प्रथाएँ 1947-2000	सेज़ प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, 376 पृ.
6.	लाल, बी.वी., रीव्स, पी. और राय, आर.	2006	भारतीय डायस्पोरा का विश्वकोश	हवाई विश्वविद्यालय पीआर. 416 पृ.

7.	जैन, पी.सी.	2007	पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी : एक पाठक	नई दिल्ली: मनोहर प्रकाशन 340 पृ.
8.	ओन्क, जी.	2007	वैश्विक भारतीय प्रवासी: प्रवासन और सिद्धांत के प्रक्षेपपथों की खोज	आईआईएएस प्रकाशन श्रृंखला, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी प्रेस, 296 पृ.
9.	शशिकुमार, एसके, और हुसैन, जेड, और वीवी गिरी।	2007	प्रवासन, प्रेषण और विकास: भारत से सबक	राष्ट्रीय श्रम संस्थान, एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला, सं. 083/2007
10.	रघुराम, पी., साहू, ए.के., महारे, बी. और संघा, डी.	2008	भारतीय प्रवासी का अन्वेषण: संदर्भ, यादें, प्रतिनिधित्व	सेज़ पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑनलाइन प्रकाशित, डीओआई: 10.4135/9788132100393.
11.	खदरिया, बी., परवीन कुमार, शांतनु सरकार, और रश्मी शर्मा	2008	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति: भारत के लिए मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	वर्किंग पेपर नंबर 1
12.	खदरिया, बी.	2008	वैश्वीकरण के बदलते प्रतिमान: भारत से कुशल प्रवासन में जेनेरिक की ओर इक्कीसवीं सदी का संक्रमण	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, 39(5), 45-71.
13.	जकारिया, केसी, और राजन, एस.आई.	2009	प्रवासन एवं विकास: केरल का अनुभव	दानिश बुक्स नई दिल्ली।
14.	काडेकर एट अल	2009	भारतीय प्रवासी: ऐतिहासिक एवं समकालीन प्रसंग	
15.	खदरिया, बी.	2009	भारत प्रवासन रिपोर्ट 2009: अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का दृष्टिकोण	
16.	कपूर, डी.	2010	प्रवासी, विकास और लोकतंत्र: भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का घरेलू प्रभाव	प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 344 पृ.
17.	राजन, एस.आई.	2010	शासन एवं श्रमिक प्रवासन: भारत प्रवासन रिपोर्ट 2010	रूटलेज इंडिया

18.	राजन, एस.आई., और कुमार, पी	2010	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का ऐतिहासिक अवलोकन	शासन और श्रम प्रवासन: भारत प्रवासन रिपोर्ट 2010, संस्करण 1 रूटलेज इंडिया. अध्याय 1, पृ.1-29

क्र.सं.	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	प्रकाशक और पृ. सं
19.	जयराम, एन.	2011	भारतीय प्रवासियों में विविधताएँ: प्रकृति, निहितार्थ, प्रतिक्रियाएँ	नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 250 पृ.
20.	राजन, एसआई और पेरकोट, एम.	2011	भारतीय प्रवास की गतिशीलता: ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य	रूटलेज इंडिया, 450 पृ.
21.	राजन, एसआई, वर्गीस, वीजे और जयकुमार, एम.एस.	2011	गतिशीलता का स्वपन और भेद्यता ख़रीदना: भारत में विदेशी भर्ती प्रथाएँ	रूटलेज इंडिया, 252 पी.
22.	शर्मा, आर.	2011	लिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन: भारत से महिला प्रवासियों की प्रोफ़ाइल	सामाजिक वैज्ञानिक, 39 (3/4).
23.	कज़ाइका, एम.	2012	आंतरिक बनाम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और बहुवंचना की भूमिका। भारत से कुछ साक्ष्य	एशियाई जनसंख्या अध्ययन.8(2): ऑनलाइन प्रकाशित डीओआई: 10.1080/17441730.2012.67567
24.	तुम्बे, सी.	2012	बीसवीं सदी के भारत भर में प्रवासन की निरंतरता	प्रवास और विकास, 1(1), 87-112. डीओआई: 10.1080/21632324.2012.716225।
25.	तुम्बे, सी.	2012	इंडिय माइग्रेशन बॉयोग्राफी	भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर (प्रकाशित नहीं)
26.	तुम्बे, सी.	2012	इंडिया माइग्रेशन फैक्टबुक	भाग III अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, पृ. 37.
27.	जकारिया, के.सी. और राजन, एस.आई.	2012	केरल का खाड़ी कनेक्शन, 1998- 2011: आर्थिक प्रवासन का सामाजिक प्रभाव	नई दिल्ली ओरिएंट ब्लैकस्वान।
28.	कोडोथ, पी. और वर्गीस, वी.जे.	2012	महिलाओं की सुरक्षा या उत्प्रवास प्रक्रिया को खतरे में डालना: प्रवासी महिला घरेलू कामगार, लिंग और राज्य नीति	इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 47(43), 56-66

क्र.सं.	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	प्रकाशक और पृ. सं
29.	राजन, एस.आई.	2012	भारत प्रवासन रिपोर्ट 2012: वैश्विक वित्तीय संकट, प्रवासन एवं प्रेषण	रूटलेज, 384 पृ.
30.	साहू, ए.के., बास, एम. और फैस्ट, टी.	2012	भारतीय प्रवासी और अंतरराष्ट्रीयवाद	रावत प्रकाशन, 456 पृ.
31.	भगत, आरबी, केशरी, के. और अली, आई.	2013	भारत में उत्प्रवास और प्रेषण का प्रवाह	प्रवासन एवं विकास, 2(1), 93-105. डीओआई: 10.1080/21632324.2013.785255।
32.	गुरुचरण जी.	2013	प्रवासन का भविष्य नीति, रणनीति और जुड़ाव के तरीके रिपोर्ट वरिष्ठ फैलोशिप कार्यक्रम 2013	https://mea.gov.in/images/attach/I_G_Gurucharan.pdf
33.	जकारिया, के.सी., और राजन, एस.आई.	2014	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर शोध: केरल से सबक	नई दिल्ली रूटलेज, 288 पृ.
34.	जकारिया, के.सी., और राजन, एस.आई.	2015	केरल में उत्प्रवास और प्रेषण की गतिशीलता: केरल प्रवास सर्वेक्षण 2014 के परिणाम	वर्किंग पेपर एन. 463, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम
35.	पोटनुरु, बीके और सैम, वी.	2015	भारत-यूरोपीय संघ जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भविष्य की चुनौतियाँ और नीतिगत अनिवार्यताएँ	आईआईएमबी प्रबंधन समीक्षा, 27,35-43
36.	वाल्टन-रॉबर्ट्स, एम.	2015	स्वास्थ्य पेशेवरों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और भारत में स्वास्थ्य शिक्षा का बाज़ारीकरण और निजीकरण: पुश-पुल से वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक	सामाजिक विज्ञान एवं चिकित्सा, 124.
37.	गार्नर, शेल्बी एल., शेली एफ. कॉनरॉय, और सुसान गेरडिंग बेडर	2015	भारत से नर्सों का प्रवास: एक साहित्य समीक्षा।	इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ नर्सिंग स्टडीज़, 52, 1879-1890 डीओआई: 10.1016/जे. ijnurstu.2015.07.003.

क्र.सं.	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	प्रकाशक और पृ. सं
38.	भगत, आर.बी., दास, केसी, प्रसाद, आर., और रॉय, टी.के.	2016	गुजरात, भारत से अंतर्राष्ट्रीय बाह्य-प्रवासन : परिमाण, प्रक्रिया और परिणाम	प्रवास और विकास, 6(3), 448-459.
39.	जकारिया, केसी, और राजन, एस.आई.	2016	केरल प्रवास अध्ययन 2014	आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 51(6), 66-71.
40.	राजन, एसआई, सामी, बीडी और असीर राज, एस.एस.	2017	तमिलनाडु प्रवासन सर्वेक्षण 2015	विकास अध्ययन केंद्र ।
41.	कुमार, के.एस.	2017	भारत में प्रवासन नीति सुधार: कुछ विचार	इंडिया माइग्रेशन रीडर, अध्याय 1, 8 पृष्ठ। रूटलेज इंडिया.
42.	राजन, एस.आई. और जकारिया, के.सी	2017	केरल प्रवासन सर्वेक्षण 2016: नए साक्ष्य	भारत प्रवासन रिपोर्ट 2017: जबरन प्रवासन, पृ. 289-305, रूटलेज
43.	अली, आई.., भगत, आरबी और महबूब, एस.	2017	उत्प्रवास, प्रेषण, और उभरती पारिवारिक संरचना: भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के आठ चयनित गांवों में घरेलू सर्वेक्षण से निष्कर्ष	प्रेषण समीक्षा, 2.
44.	अली, आई., भगत, आरबी, शंकर, जी. और वर्मा, आर.के.	2017	केरल, भारत में प्रवासियों और गैर-प्रवासियों की पत्नियों के बीच रुग्णता का अंतर	इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ माइग्रेशन, हेल्थ, एंड सोशल केयर, 13(3), 346-359
45.	ओडा, एच., त्सुजिता, वाई., और राजन, एस.आई.	2018	भारतीय नर्सों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण	जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, 19(3), 607-624।
46.	जकारिया, के.सी., और राजन, एसआई	2018	केरल में प्रवास: एक युग का अंत	नालन्दा बुक्स
47.	राजन, एस.आई., अरोक्कियाराज, एच. और रंजन, आर.	2018	केरल की खाद्य आपदा: क्या प्रवासन अभी भी क्षतिपूर्ति का कार्य करेगा?	इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 52, एन. 36
48.	परिदा, जेके और रमन, केआर	2018	भारत: अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक प्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति	ट्रायंडाफिलिडौ में, ए. (एड) हैंडबुक ऑफ माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन

क्र.सं.	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	प्रकाशक और पृ. सं
49.	राजन, एस.आई. और मिश्रा, यू.एस.	2018	जनसांख्यिकीय गतिशीलता लिए तैयार किया गया और श्रम बल	विकास अध्ययन केंद्र, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, आईएलओ के
50.	राजन, एस.आई., और अखिल, सी.एस.	2019	लौटे प्रवासियों का पुन: एकीकरण और राज्य की प्रतिक्रियाएँ: केरल की केस स्टडी	प्रोडक्टिविटी, 60(2), 136-142.
51.	ली, डब्ल्यू., बेडफोर्ड, आर. और खदरिया, बी.	2019	आईएम विशेष अनुभाग परिचय: चीन और भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर पुनर्विचार	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, 57(3).
52.	शशिकुमार, एस.के	2019	खाड़ी में भारतीय श्रमिकों का प्रवास : हालिया रुझान, नियामक वातावरण और प्रवासन लागत पर नए साक्ष्य	प्रोडक्टिविटी, 60(2).
53.	खदरिया, बी., ठाकुर, एन., निकोलस, आई., ली, टी., जिग्मिन यांग, जे. और येचेन जांग, वाई.	2019	सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता : एशिया पर इसका प्रभाव	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, 57 (6), 286-302।डीओआई: 10.1111/ imig.12654.
54.	राजन, एस.आई. और जकारिया, के.सी	2019	उत्प्रवास और प्रेषण: केरल प्रवासन सर्वेक्षण 2018 से नए साक्ष्य	विकास अध्ययन केंद्र, वर्किंग पेपर संख्या 483।
55.	राजन, एस.आई. और जकारिया, के.सी	2020	केरल प्रवासन सर्वेक्षण 2018 से नए साक्ष्य	इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 55(4), 41-49.
56.	राजन, एस.आई.	2020	भारत प्रवासन रिपोर्ट 2010: शासन और श्रमिक प्रवासन	रूटलेज इंडिया, 336 पृ.

क्र.सं.	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	प्रकाशक और पृ. सं
57.	अबेला, एम.आई., और शशिकुमार, एस.के.	2020	कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों की आय हानि का अनुमान	द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 63, 921-939।डीओआई:10.1007/एस41027-020- 00281-वाई

58.	राजन, एस.आई. और अमुथन, एस.	2021	श्रम बल, व्यावसायिक परिवर्तन और वापस आने वाले प्रवासियों का सामाजिक आर्थिक स्तर	जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन 2021।
59.	सिंह, आर.	2021	भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास : एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन	संस्कृति एवं प्रवासन की पुस्तिका। प्रवासन में एल्गर हैंडबुक
60.	धर, बी., और भगत, आर.बी	2021	भारत में वापसी प्रवास: आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम	प्रवासन और विकास, 10(1), 107-121.
61.	लुसोम, आर., और भगत, आरबी	2020	पूर्वोत्तर भारत में प्रवासन: महामारी के दौरान अंतर्वाह, बहिर्प्रवाह और विपरीत प्रवाह	द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 63, 1125-1141 डीओआई: 10.1007/एस41027-020-00278-7
62.	कोडोथ, पी.	2020	राज्य की छाया में: मध्य पूर्व में घरेलू कामगारों के रूप में दक्षिण भारतीय महिलाओं की भर्ती और प्रवासन।	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। 114 प़.
63.	राजन, एस.आई. सामी, बीडी राज एस.ए., और शिवकुमार पी.	2021	तमिल प्रवासी: एक जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण।	ओरिएंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद।
64.	नंदा, ए.के., वेरोन जे., और राजन एस.आई.	2021	भाग्य के मार्ग? पंजाब से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की गतिशीलता की खोज	राउटलेज, दिल्ली।

अनुलग्नक 2: प्रवासन-प्रासंगिक एसडीजी संकेतक

निम्नलिखित खंड में प्रवासन के लिए प्रासंगिक एसजीडी लक्ष्यों एवं संकेतकों[1] को सूचीबद्ध किया गया है:

एसडीजी लक्ष्य का विवरण		एसडीजी संकेतक
प्रवासियों के लिए		
3.ग	विकासशील देशों में स्वास्थ्य वित्तपोषण एवं स्वास्थ्य कार्यबल की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण और प्रतिधारण बढ़ाना	3.ग.1 स्वास्थ्य कार्यकर्ता घनत्व और वितरण।
4.ख	विकसित देशों एवं अन्य विकासशील देशों में उच्च शिक्षा में नामांकन हेतु विकासशील देशों को उपलब्ध छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाना	4.ख.1 क्षेत्र एवं अध्ययन के प्रकार के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए आधिकारिक विकास सहायता दी जाती है।
8.8	श्रम अधिकारों की रक्षा करना और प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों और अनिश्चित रोजगार वाले लोगों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना।	8.8.1 लिंग और प्रवासी स्थिति के आधार पर घातक और गैर-घातक व्यावसायिक चोटों की आवृत्ति दर 8.8.2 लिंग और प्रवासी स्थिति के आधार पर श्रम अधिकारों (संघ एवं सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता) के राष्ट्रीय अनुपालन का स्तर
10.7	नियोजित एवं अच्छी तरह से प्रबंधित प्रवासन नीतियों के कार्यान्वयन सहित लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना।	10.7.1 भर्ती लागत गंतव्य देश में अर्जित वार्षिक आय के अनुपात के रूप में कर्मचारी द्वारा वहन की जाती है।

		10.7.2 उन देशों की संख्या जिन्होंने अच्छी तरह से प्रबंधित प्रवासन नीतियों को लागू किया है
10.ग	प्रवासी प्रेषण की लेनदेन लागत को 3 प्रतिशत से कम करना और 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाले प्रेषण कॉरिडोर को समाप्त करना।	10.ग.1 प्रेषण लागत प्रेषित राशि के अनुपात के रूप में।
16.2	बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी एवं सभी प्रकार की हिंसा और अत्याचार को समाप्त करना	16.2.2 लिंग, आयु और शोषण के प्रकार के आधार पर प्रति 100,000 जनसंख्या पर मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या।
17.3	विकासशील देशों के लिए अनेक स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना	17.3.2 कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रेषण की मात्रा (संयुक्त राज्य डॉलर में)
17.18	आय, लिंग, आयु, नस्ल, जातीयता, प्रवासी स्थिति, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति एवं राष्ट्रीय संदर्भों में प्रासंगिक अन्य विशेषताओं के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले, समय पर और विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करने हेतु विकासशील देशों में क्षमता सृजन को समर्थन बढ़ाना।	17.18.1 आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार, लक्ष्य हेतु प्रासंगिक होने पर पूर्ण पृथक्करण के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित सतत विकास संकेतकों का अनुपात।

[71] The Danish Institute for Human Rights, Goals, Rights & Indicators, Available at https://sdg.humanrights.dk/en/goals-and-targets

पृथक्करण के लिए - न्यूनतम

8.8	श्रम अधिकारों की रक्षा करना तथा प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों और अनिश्चित रोजगार वाले लोगों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना।	8.8.1 लिंग और प्रवासी स्थिति के आधार पर घातक और गैर-घातक व्यावसायिक चोटों की आवृत्ति दर 8.8.2 लिंग और प्रवासी स्थिति के आधार पर श्रम अधिकारों (संघ एवं सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता) के राष्ट्रीय अनुपालन का स्तर

पृथक्करण के लिए - विस्तारित

1.1	2030 तक, हर जगह सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन, वर्तमान में प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों के रूप में मापा जाता है	1.1.1 लिंग, आयु, रोजगार की स्थिति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या का अनुपात अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है

1.3	निचले सहित सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना, और 2030 तक गरीबों और कमजोर लोगों तक पर्याप्त कवरेज प्राप्त करना।	1.3.1 लिंग के आधार पर सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर की गई जनसंख्या का अनुपात, बच्चों, बेरोजगार व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, काम के दौरान चोट के पीड़ितों और गरीबों और कमजोर लोगों को अलग करना
3.2	2030 तक, नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के मामलों को समाप्त करना, जिसमें सभी देशों का लक्ष्य नवजात शिशु मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्म और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म तक कम करना है।	3.2.1 लिंग, आयु और प्रमुख आबादी के आधार पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.3.1 प्रति 1,000 असंक्रमित आबादी पर नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या
3.4	2030 तक, रोकथाम एवं उपचार के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से असामयिक मृत्यु दर को एक तिहाई कम करना और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना।	3.4.1 हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, या पुरानी श्वसन बीमारी के कारण मृत्यु दर
3.8	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, जिसमें वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता एवं सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच शामिल हो। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, जिसमें वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता एवं सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच शामिल हो।	3.8.1 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज 3.8.2 कुल घरेलू व्यय या आय के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य पर अधिक घरेलू व्यय करने वाली जनसंख्या का अनुपात
4.1	2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें जिससे सीखने के प्रासंगिक एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त हों।	4.1.1 बच्चों एवं युवाओं का अनुपात: (क) ग्रेड 2/3 में; (ख) प्राथमिक के अंत में; और (ग) निम्न माध्यमिक के अंत में लिंग के आधार पर (i) पढ़ने और (ii) गणित में कम से कम न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त करना
4.3	2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय सहित सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।	4.3.1 पिछले 12 महीनों में लिंग के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण में युवाओं और वयस्कों की भागीदारी दर
4.6	2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा और वयस्कों का एक बड़ा हिस्सा, दोनों पुरुष और महिलाएं, साक्षरता एवं गणना का ज्ञान प्राप्त करें।	4.6.1 लिंग के आधार पर कार्यात्मक (क) साक्षरता और (क) संख्यात्मक कौशल में कम से कम कुछ निश्चित स्तर की दक्षता प्राप्त करने वाले प्रत्येक आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात

5.5	राजनीतिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।	5.5.2 प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का अनुपात
8.3	विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता, रचनात्मकता एवं नवाचार का समर्थन करती हों, और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हो।	8.3.1 लिंग के आधार पर गैर-कृषि रोजगार में अनौपचारिक रोजगार का अनुपात
8.5	2030 तक, युवाओं तथा विकलांगजनों समेत सभी महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और अच्छे कार्य उपलब्ध कराना, और समान महत्व के काम हेतु समान वेतन दिलाना। 2030 तक, युवाओं तथा विकलांगजनों समेत सभी महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और अच्छे कार्य उपलब्ध कराना, और समान महत्व के काम हेतु समान वेतन दिलाना।	8.5.1 व्यवसाय, आयु एवं विकलांग व्यक्तियों के अनुसार महिला और पुरुष कर्मचारियों की औसत प्रति घंटा आय 8.5.2 लिंग, आयु और विकलांग व्यक्तियों के आधार पर बेरोजगारी दर
8.6	2020 तक, रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को काफी हद तक कम करना	8.6.1 युवाओं का अनुपात जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं
8.8	श्रम अधिकारों की रक्षा करना तथा प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों एवं अनिश्चित रोजगार वाले लोगों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना।	8.8.1 लिंग और प्रवासी स्थिति के आधार पर घातक एवं गैर-घातक व्यावसायिक चोटों की आवृत्ति दर 8.8.2 लिंग और प्रवासी स्थिति के आधार पर श्रम अधिकारों (संघ एवं सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता) के राष्ट्रीय अनुपालन का स्तर
8.10	सभी के लिए बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित करना और बढ़ाने के लिए घरेलू वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना।	8.10.2 किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान या मोबाइल-मनी-सेवा प्रदाता के खाते वाले वयस्कों का अनुपात
10.2	2030 तक, किसी भी उम्र, लिंग, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म या आर्थिक या अन्य स्थिति के बावजूद सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेश को सशक्त और बढ़ावा देना।	10.2.1 लिंग, आयु और विकलांग व्यक्तियों के आधार पर औसत आय के 50 प्रतिशत से नीचे अर्जित करने वाले लोगों का अनुपात
10.3	समान अवसर सुनिश्चित करना और परिणाम की असमानताओं को कम करना, जिसमें भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को समाप्त करना तथा इस संबंध में उचित कानून, नीतियों एवं कार्रवाई को बढ़ावा देना शामिल है।	10.3.1 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत निषिद्ध भेदभाव के आधार पर पिछले 12 महीनों में व्यक्तिगत रूप से भेदभाव या उत्पीड़न महसूस करने वाली जनसंख्या का अनुपात
11.1	2030 तक सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।	11.1.1 मलिन बस्तियों, अनौपचारिक बस्तियों या अपर्याप्त आवास में रहने वाली शहरी आबादी का अनुपात

16.1	हर जगह सभी प्रकार की हिंसा एवं संबंधित मृत्यु दर को काफी कम करना।	16.1.3 पिछले 12 महीनों में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या यौन हिंसा का शिकार हुई जनसंख्या का अनुपात
16.9	2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी को कानूनी पहचान उपलब्ध कराना।	16.9.1 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात, जिनका जन्म उम्र वार नागरिक प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया गया है।

सहयोगकर्ता